डाक पंजीयन क्र./छ.ग./रायपुर संभाग/14/2024-2026

आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या CHHHIN/2002/09534

रोजगार और नियोजन

वर्ष-23, अंक-03, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित

06 अगस्त 2025 बुधवार, पृष्ठ संख्या 24, निःशुल्क

सड़क क्रांति

छत्तीसगढ़ में 7,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं को जल्द मिलेगी स्वीकृति

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ की अधोसंरचना विकास को नई रफ्तार मिलने जा रही है। बैठक में राज्य की 7,000 करोड़ रुपये से अधिक की सड़क परियोजनाओं को शीघ्र वित्तीय स्वीकृति दिलाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही केंद्रीय सड़क निधि (CRF) से 600 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। राजधानी रायपुर में भीड़भाड़ कम करने चार नए ब्रिजों का निर्माण होगा, जिनका भूमि पूजन शीघ्र किया जाएगा। रायपुर से अन्य जिलों को जोड़ने वाली सड़कों को दो लेन से चार लेन में बदला जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों के विभिन्न हिस्सों पर 115.95 करोड़ के कार्यों की भी स्वीकृति दी गई है, जिनमें बिलासपुर, कटनी-गुमला और केशकाल क्षेत्र शामिल हैं। सड़कें राज्य में समृद्धि और सामाजिक परिवर्तन की कुंजी हैं।

मन की बात

PM ने बिल्हा की सराहना

छत्तीसगढ़ की नगर पंचायत बिल्हा ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2024–25 में देशभर के 20,000 से कम आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विज्ञान भवन में सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' में बिल्हा की स्वच्छता दीदियों के नवाचार और श्रम की प्रशंसा की। 28 दीदियाँ ई-रिक्शा से कचरा संग्रह करती हैं, जिसे SLRM सेंटर में पृथक कर खाद और आर्थिक लाभ में बदला जाता है।

नक्सल प्रभावित इलाकों में संचार क्रांति लगेंगे 400 नए बीएसएनएल टावर

डिजिटल कनेक्टिविटी से विकास को मिलेगा नया आयाम, सरकार की बड़ी पहल

026	059	025	033	081	090	066
बस्तर	बीजापुर	दंतेवाड़ा	नारायणपुर	कांकेर	कोंडागांव	सुकमा

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित और दूरस्थ इलाकों में अब संचार की नई क्रांति आने वाली है। केंद्र सरकार यहां 400 नए बीएसएनएल टावर लगाने जा रही है, जिससे इन क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी की बड़ी समस्या दूर हो सकेगी। यह जानकारी ग्रामीण विकास और दूरसंचार राज्यमंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने रायपुर में आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान दी।

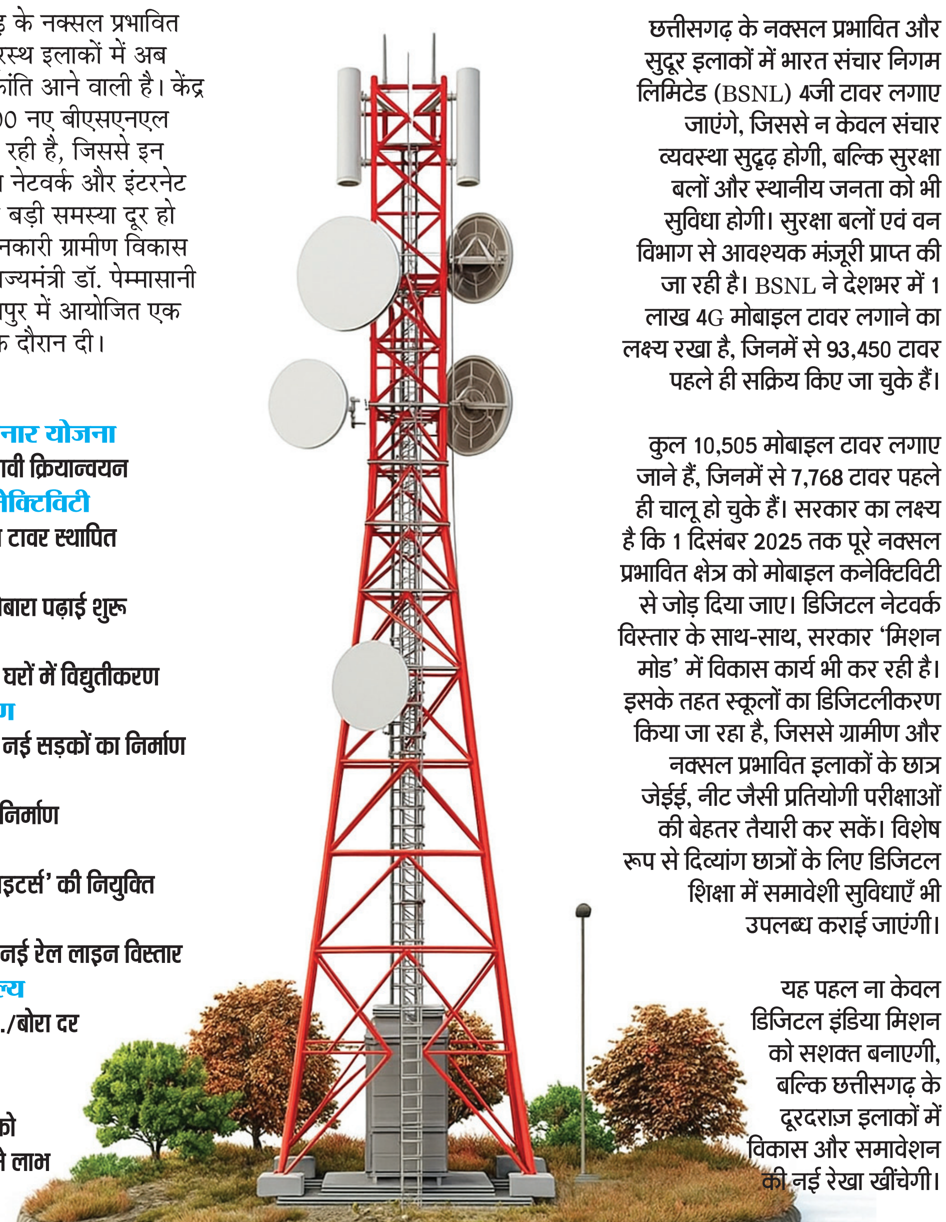

- **नियद नेल्लानार योजना**
  327 गांवों में प्रभावी क्रियान्वयन
- **मोबाइल कनेक्टिविटी**
  1000 + मोबाइल टावर स्थापित
- **शिक्षा**
  350 स्कूलों में दोबारा पढ़ाई शुरू
- **बिजली**
  5500 से अधिक घरों में विद्युतीकरण
- **सड़क निर्माण**
  278 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण
- **पुल निर्माण**
  11 वृहद पुलों का निर्माण
- **सुरक्षा**
  3202 'बस्तर फाइटर्स' की नियुक्ति
- **रेल सेवा**
  140 किलोमीटर नई रेल लाइन विस्तार
- **वन उपज मूल्य**
  तेंदूपत्ता 5500 रु./बोरा दर से भुगतान
- **रोजगार**
  40000 युवाओं को कौशल विकास से लाभ

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित और सुदूर इलाकों में भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) 4जी टावर लगाए जाएंगे, जिससे न केवल संचार व्यवस्था सुदृढ़ होगी, बल्कि सुरक्षा बलों और स्थानीय जनता को भी सुविधा होगी। सुरक्षा बलों एवं वन विभाग से आवश्यक मंज़ूरी प्राप्त की जा रही है। BSNL ने देशभर में 1 लाख 4G मोबाइल टावर लगाने का लक्ष्य रखा है, जिनमें से 93,450 टावर पहले ही सक्रिय किए जा चुके हैं।

कुल 10,505 मोबाइल टावर लगाए जाने हैं, जिनमें से 7,768 टावर पहले ही चालू हो चुके हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 1 दिसंबर 2025 तक पूरे नक्सल प्रभावित क्षेत्र को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाए। डिजिटल नेटवर्क विस्तार के साथ-साथ, सरकार 'मिशन मोड' में विकास कार्य भी कर रही है। इसके तहत स्कूलों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण और नक्सल प्रभावित इलाकों के छात्र जेईई, नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर सकें। विशेष रूप से दिव्यांग छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा में समावेशी सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

यह पहल ना केवल डिजिटल इंडिया मिशन को सशक्त बनाएगी, बल्कि छत्तीसगढ़ के दूरदराज इलाकों में विकास और समावेशन की नई रेखा खींचेगी।

मंत्रिपरिषद के निर्णय

खदानों से कल्याण, जमीन में पारदर्शिता, क्रिकेट अकादमी को हरी झंडी

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास, पारदर्शिता और जनहित को केंद्र में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में खनिज क्षेत्र के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुरूप नियमों में बदलाव से लेकर रेत नीति में सुधार, कृषि भूमि मूल्यांकन की पारदर्शी व्यवस्था और क्रिकेट अकादमी की स्थापना जैसे फैसलों को मंजूरी दी गई।

जिला खनिज संस्थान न्यास नियमों में संशोधन

मंत्रिपरिषद द्वारा भारत सरकार की प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)-2024 के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार "छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015" में आवश्यक संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधन के तहत न्यास राशि का कम से कम 70% भाग उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में व्यय किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं: पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण व प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य व शिक्षा, महिला, बाल, वृद्ध एवं दिव्यांगजन कल्याण, कृषि व पशुपालन, कौशल विकास, रोजगार, स्वच्छता और आवास।

रेत नियमों में बड़ा सुधार

मंत्रिपरिषद द्वारा "छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2025" को मंजूरी दी गई।

शेष पेज 3 पर

निक्षय-निरामय अभियान

4106 पंचायतें टीबी मुक्त घोषित

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ टीबी उन्मूलन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। निक्षय-निरामय छत्तीसगढ़ अभियान के तहत 36 लाख लोगों की स्क्रीनिंग, 4.5 लाख एक्स-रे और 1.5 लाख नॉट मशीन जांचें की गईं। 15,000 से अधिक निक्षय मित्रों ने 34,000 मरीजों को पोषण सहायता दी। समाज के वंचित वर्गों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। अब तक 4106 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित हो चुकी हैं। इस उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय सम्मान मिला है।

नई औद्योगिक नीति

ग्रीन स्टील और माइनिंग समिट में मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को निवेश के लिए किया आमंत्रित

छत्तीसगढ़ बनेगा ग्रीन स्टील हब, उद्योगों को मिलेगा विशेष प्रोत्साहन

छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री ने रायपुर में आयोजित ग्रीन स्टील और माइनिंग समिट में भाग लिया। देशभर से आए स्टील उद्योग से जुड़े उद्यमियों को राज्य में निवेश कर उत्पादन यूनिट स्थापित करने का आमंत्रण दिया। औद्योगिक नीति में स्टील सेक्टर को विशेष प्राथमिकता दी गई है और ग्रीन स्टील उत्पादन करने वालों को विशेष अनुदान का प्रावधान भी किया गया है।

अधोसंरचना विकास से मिलेगा उद्योगों को बढ़ावा

राज्य में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की रेलवे परियोजनाएं कार्यरत हैं, जिससे कच्चे माल की आपूर्ति और तैयार माल की ढुलाई तेज़, सस्ती और सुलभ हो सकेगी। किरंदुल से कोठागुडेम तक नई रेललाइन और रायगढ़ से राजनांदगांव तक बनने वाले औद्योगिक रेल कॉरिडोर से स्टील उद्योग को बड़ा लाभ मिलेगा।

ग्रीन एनर्जी को अपनाने वालों को अतिरिक्त लाभ

औद्योगिक इकाइयाँ ग्रीन एनर्जी तकनीकों जैसे हाइड्रोजन आधारित स्टील उत्पादन को अपनाएंगी, उन्हें राज्य सरकार की ओर से विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। राज्य को एनर्जी समिट में साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 57 हजार करोड़ रुपये जलविद्युत परियोजनाओं से संबंधित हैं।

28 से बढ़कर 45 मिलियन टन करने का लक्ष्य

छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्टील उत्पादन क्षमता 28 मिलियन टन है, जिसे 2030 तक 45 मिलियन टन तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अधोसंरचना और नीति-स्तरीय तैयारियाँ पूरी कर ली हैं।

पिक ऑफ द वीक

दलहा पहाड़, अकलतरा

बिलासपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा के पास स्थित है। साल में एक दिन नागपंचमी पर इस पवित्र सूर्य कुंड की महत्ता सबसे अधिक होती है। इसका पानी पीने हजारों लोग जंगलों, पर्वतों और पत्थरों से भरे रास्ते पैदल आते हैं। लंबा रास्ता तय करने के बाद चार किलोमीटर की 750 मीटर खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। मान्यता है नागपंचमी के दिन सूर्यकुंड का पानी पीने से लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहता है।

जॉब अलर्ट

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
पदः खाद्य सुरक्षा अधिकारी
पद संख्याः 67
अंतिम तिथिः 10 अगस्त
mppsc.mp.gov.in

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया
पदः अप्रेंटिस
पद संख्याः 197
अंतिम तिथिः 11 अगस्त
nats.education.gov.in

इंटीग्रल कोच फैक्ट्री
पदः अप्रेंटिस
पद संख्याः 1010
अंतिम तिथिः 11 अगस्त
www.apprenticeblw.in

एनएचपीसी
पदः अप्रेंटिस
पद संख्याः 361
अंतिम तिथिः 11 अगस्त
www.nhpcindia.com

साउथ वेस्टर्न रेलवे
पदः अप्रेंटिस
पद संख्याः 904
अंतिम तिथिः 13 अगस्त
www.rrchuhli.in

पंजाब शिक्षा विभाग
पदः पीटीआई टीचर
पद संख्याः 2000
अंतिम तिथिः 22 अगस्त
ssapunjab.org

भारतीय सेना
पदः टेक्निशियन
पद संख्याः 381
अंतिम तिथिः 22 अगस्त
joinindianarmy.nic.in

छत्तीसगढ़ संदर्भ

- भौगोलिक क्षेत्रः 2891.98 वर्ग किमी
- कुल विधानसभा सीट : 7 (धरसींवा, रायपुर शहर ग्रामीण, रायपुर नगर पश्चिम, रायपुर नगर उत्तर, रायपुर नगर दक्षिण, आरंग, अभनपुर)
- तहसील की संख्या : 8 (रायपुर, तिल्दा, आरंग, अभनपुर, खरोरा, गोबरा नवापारा, धरसींवा, मंदिर हसौद,)
- जनपदः4 (धरसीवा, तिल्दा, आरंग, अभनपुर)
- ब्लॉकः 4 (धरसींवा, तिल्दा, आरंग, अभनपुर)
- नगर पंचायतः 7 (खरोरा, कुर्रा, माना, अभनपुर, चंदखुरी, मंदिर हसौद, समोदा)
- नगर पालिकाः 3 (तिल्दा-नेवरा, गोबरानवापारा, आरंग)
- नगर निगम : 2 (रायपुर , बिरगांव)
- गाँवः 545 ▪ ग्राम पंचायतः 408
- पुलिस स्टेशनः 32

स्त्रोत : https://raipur.gov.in/

आदिवासी प्रतिभाओं को मिलेगी नई उड़ान
जशपुर में बनेगा अत्याधुनिक तीरंदाजी और प्रशिक्षण केंद्र

मुख्यमंत्री के प्रयासों से अत्याधुनिक तीरंदाजी केंद्र, पुस्तकालय, मेडिकल यूनिट और स्किल सेंटर बनेगा

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासी अंचलों के विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जशपुर जिले के सुदूरवर्ती पंड्रापाठ क्षेत्र में 20.53 करोड़ रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक बहु-उद्देशीय परिसर की स्थापना की जा रही है, जो ग्रामीण युवाओं के लिए खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास का केन्द्र बनेगा। यह परिसर एनटीपीसी द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के अंतर्गत निर्मित किया जा रहा है और इसमें तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र के साथ-साथ लघु पुस्तकालय, प्राथमिक चिकित्सा इकाई, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, जैविक खेती हेतु नर्सरी और औषधीय पौधों का उद्यान भी शामिल होगा। लगभग 10.27 एकड़ भूमि पर विकसित होने जा रहा यह केंद्र, न केवल जशपुर बल्कि पूरे उत्तरी छत्तीसगढ़ के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा।

खेल प्रतिभाओं को मिलेगा राष्ट्रीय मंच

यह परियोजना आदिवासी युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। तीरंदाजी जैसे पारंपरिक खेलों को आधुनिक तकनीक और संसाधनों से जोड़कर हम ग्रामीण क्षेत्रों की छुपी हुई प्रतिभाओं को वैश्विक मंच तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यह परियोजना सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में भी युवाओं के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी।

आधुनिक तकनीक का संगम

जशपुर की पहचान तीरंदाजी की समृद्ध परंपरा से रही है। इस पहल के माध्यम से स्थानीय युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण, समुचित उपकरण और प्रतियोगिताओं में भागीदारी का अवसर मिलेगा। परियोजना की रूपरेखा विशेषज्ञ परामर्शदाताओं द्वारा तैयार की गई है, जिसमें विस्तृत 3D डिज़ाइन, भवन संरचना और लागत विवरण शामिल हैं।

स्वास्थ्य और शिक्षा को भी मिलेगा संबल

प्रशिक्षण परिसर में एक प्राथमिक चिकित्सा इकाई और लघु पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी, जिससे न केवल खिलाड़ियों को बल्कि स्थानीय ग्रामीणों को भी लाभ मिलेगा। वहीं, कौशल विकास केंद्र ग्रामीण युवाओं को आजीविका के नए अवसरों से जोड़ने में मदद करेगा। इसके साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए छायादार नर्सरी और औषधीय उद्यान भी परिसर का हिस्सा होंगे, जिससे स्थानीय कृषकों को आय बढ़ाने और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित रखने का मौका मिलेगा।

समावेशी विकास की ओर ठोस कदम

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि उनकी सरकार आदिवासी अंचलों को "विकास के केंद्र" में लाने के लिए संकल्पबद्ध है। पंड्रापाठ में बनने वाला यह प्रशिक्षण परिसर, स्थानीय प्रशासन, कॉर्पोरेट क्षेत्र और सरकार के संयुक्त प्रयासों का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि यह नवाचारपरक परियोजना "एक जिला, एक पहचान" के सिद्धांत को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

स्त्रोत : https://cgvidhansabha.gov.in/

राजस्थान में शिक्षक 6500 पदों पर भर्ती, आवेदन 19 अगस्त से

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सीनियर शिक्षक के 6,500 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 19 अगस्त 2025 से शुरू होकर 17 सितंबर 2025 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न विषयों के लिए स्नातक डिग्री के साथ शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा अनिवार्य है। चयन लिखित परीक्षा, मेरिट लिस्ट, और दस्तावेज़ सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा दो पेपरों में आयोजित होगी। पे लेवल-11 के अनुसार वेतनमान दिया जाएगा।

एमपी में 752 पैरामेडिकल पदों पर भर्ती, आवेदन 11 अगस्त तक

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने ग्रुप-5 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 के तहत 752 पैरामेडिकल पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन 11 अगस्त 2025 तक esb.mp.gov.in पर किए जा सकते हैं। परीक्षा 27 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, ओटी टेक्नीशियन, नेत्र सहायक समेत विभिन्न पदों पर नियुक्ति होगी। संबंधित विषयों में डिप्लोमा या डिग्री अनिवार्य है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन लिखित परीक्षा और मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

BSF में 3588 ट्रेड्समैन पदों पर भर्ती, आवेदन 25 अगस्त तक

सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन के 3588 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार 25 अगस्त 2025 तक www.bsf.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इनमें पुरुषों के लिए 3406 और महिलाओं के लिए 182 पद आरक्षित हैं। उम्मीदवारों को 10वीं पास के साथ संबंधित ट्रेड में ITI या NCVT/SCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए। चयन प्रक्रिया में फिजिकल टेस्ट, रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल शामिल हैं। उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष है। चयनित उम्मीदवारों को 21,700 रुपए से 69,100 रुपए वेतन मिलेगा।

एनएचपीसी में 361 पदों पर भर्ती, 11 अगस्त तक करें आवेदन

नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ने ट्रेनी ऑफिसर और सीनियर मेडिकल ऑफिसर सहित 361 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 11 अगस्त 2025 तक nhpcindia.com वेबसाइट पर चलेगी। पात्रता अनुसार बी.कॉम, बी.एससी, बी.टेक, बी.ई., एलएल.बी., डिप्लोमा, आईटीआई, एम.ए., एमबीए आदि डिग्रियाँ मान्य हैं। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष निर्धारित है। चयन मेरिट आधार पर किया जाएगा। ग्रेजुएट अप्रेंटिस को 15,000 रुपए, डिप्लोमा धारक को 13,500 रुपए और आईटीआई धारक को 12,000 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा।

रोजगार और नियोजन
प्रधान संपादक
डॉ. रवि मित्तल
संपादक
जवाहर लाल दरियो
उप महाप्रबंधक (विपण्न)
नितिन शर्मा
सहायक संपादक
गीतांजलि नेताम
संपादकीय
संदीप सिन्हा
ग्राफिक डिजाइन-इलेस्ट्रेशन
धनेश कुमार दिवाकर
डाटा एंट्री आपरेटर
अंजुरानी, राकेश साहू
वितरण व्यवस्था
विक्रांत ताम्रकार
- कार्यालय पता -
छत्तीसगढ़ संवाद
(छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग का उपक्रम)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19,
अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)
फोन-0771-2512582, 2512583
ईमेल पता
rojgaraurniyojan@gmail.com
रोजगार और नियोजन निःशुल्क है।

रोजगार और नियोजन में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। रोजगार और नियोजन में प्रकाशित होने वाले लेखों के लिए लेखकों को नियमानुसार मानदेय प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र रायपुर रहेगा।

छत्तीसगढ़

मिशन कर्मयोगी से सशक्त होंगे लोक सेवकः मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार की क्षमता विकास आयोग के बीच मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। मुख्यमंत्री ने इसे सुशासन की दिशा में मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि यह पहल चार लाख शासकीय सेवकों को प्रशिक्षण देकर उन्हें अधिक सक्षम, उत्तरदायी और नागरिक-केंद्रित बनाएगी। अब तक 50 हजार अधिकारी-कर्मचारी प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके हैं। मिशन कर्मयोगी प्रशासनिक उत्कृष्टता, नवाचार और जनसेवा को नई ऊंचाई देगा, जिससे विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य की प्राप्ति संभव होगी।

केरल एवं ओडिशा के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने की सौजन्य मुलाकात

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से मंत्रालय, महानदी भवन में केरल एवं ओडिशा के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में लोकसभा सांसद चलाकुडी से श्री बेनी बेहनन, कोट्टायम से श्री के. फ्रांसिस जॉर्ज, कोल्लम से श्री एन. के. प्रेमचंद्रन, कोरापुट से श्री सप्तगिरि उल्का, और केरल विधानसभा सदस्य श्रीमती रोजी एम. जॉन शामिल थे प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से राज्य में हाल ही में चर्चा में आए धर्मांतरण प्रकरण की जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ एक शांतिप्रिय और समरसता में विश्वास रखने वाला प्रदेश हैं।

बेमेतरा में 102 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ

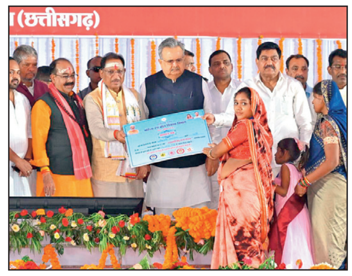

मुख्यमंत्री ने बेमेतरा जिले में 102 करोड़ रुपए के 48 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। राज्य सरकार ने डेढ़ वर्षों में जनकल्याण के कई निर्णय लिए हैं। उन्होंने 20 पंचायतों में सीसी रोड के लिए राशि की घोषणा भी की।

पहली बार दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 100 स्पेशल एजुकेटर की होगी भर्ती

राज्य में पहली बार दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए नियमित विशेष शिक्षकों (स्पेशल एजुकेटर) की सीधी भर्ती होगी। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से कुल 100 पदों पर भर्ती की जाएगी। विस्तृत विज्ञापन तथा ऑनलाइन आवेदन से संबंधित सूचना जल्द जारी होगी। उप संचालक लोक शिक्षण की ओर से जारी सूचना के अनुसार प्राथमिक शालाओं के लिए 50 पद, माध्यमिक के लिए 20 पद और उच्च प्राथमिक शालाओं के लिए 30 पद हैं। इस संबंध में संक्षिप्त विज्ञापन स्कूल शिक्षा विभाग की अधिकृत वेबसाइट https:// eduportal.cg.nic.in पर जारी किया गया है।

सेना में भर्ती के लिए प्रदेश के स्कूलों में चलाया जाएगा अभियान

भारतीय सेना में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व के लिए भर्ती के लिए प्रदेश में स्कूलों के माध्यम से छात्र छात्राओं में जागरुकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय सेना भर्ती रायपुर ने इसके लिए लोक शिक्षण संचालक को पत्र भेजा है। इसमें अग्नि वीर में भर्ती होने से संबंधित कोर्स, पात्रता व मानदंड की जानकारी दी गई है। निर्धारित समय पर जिला एवं ब्लॉक मुख्यालय के स्कूलों में शिक्षकों तथा कक्षा 11वीं 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

स्रोत : https://dprcg.gov.in/

(मंत्रिपरिषद के निर्णय)
खदानों से कल्याण, जमीन में पारदर्शिता, क्रिकेट अकादमी को हरी झंडी

पेज 1 का शेष -

इसके साथ ही पूर्व के दो नियमः
- छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019
- छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय - अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम 2023

को निरस्त कर दिया गया।

कृषि भूमि दर निर्धारण में संशोधन

वाणिज्य कर पंजीयन विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा कृषि भूमि की बाजार दरों के निर्धारण से जुड़ी नई व्यवस्था को मंजूरी दी गई।
प्रमुख बदलावः
- 500 वर्गमीटर तक के भू-खण्ड की दर समाप्त, अब हेक्टेयर दर से सम्पूर्ण रकबे का मूल्यांकन
- सिंचित भूमि के ढाई गुना मूल्य के प्रावधान को विलोपित किया गया
- शहरी सीमा से लगे ग्रामों एवं निवेश क्षेत्रों के लिए वर्गमीटर में दर निर्धारण
- मूल्यांकन में एकरूपता आएगी और बिलासपुर अरपा-भैंसाझार व भारतमाला परियोजनाओं जैसी अनियमितताओं से बचा जा सकेगा।

स्टेट क्रिकेट संघ को नवा रायपुर में भूमि आवंटन

मंत्रिपरिषद द्वारा नवा रायपुर (अटल नगर) के सेक्टर-3, ग्राम परसदा में 7.96 एकड़ भूमि को छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) को क्रिकेट अकादमी के लिए आबंटित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
अकादमी में होंगेः
- अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संसाधन
- अत्याधुनिक खेल सुविधाएं
- विशेषज्ञ कोचिंग
- खिलाड़ियों के समग्र विकास की व्यवस्था

राष्ट्रीय

लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन, 17 सांसद संसद रत्न से सम्मानित

लोकसभा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 17 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। इनमें NCP शरद गुट की सुप्रिया सुले, BJP के रवि किशन और निशिकांत दुबे और शिवसेना UBT के अरविंद सावंत का नाम शामिल है। संसद रत्न बनने वाले सांसदों में सबसे ज्यादा 7 सांसद महाराष्ट्र से हैं। इनके अलावा 4 स्पेशल जूरी अवॉर्ड भी शामिल हैं। इनमें BJP के भर्तृहरि महताब, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के एनके प्रेमचंद्रन, NCP शरद गुट की सुप्रिया सुले और शिवसेना के श्रीरंग अप्पा बार्ने शामिल हैं। इन सभी ने 16वीं लोकसभा के बाद से लगातार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जारी रखा है। बाकी सांसदों में BJP की स्मिता उदय वाघ, शिवसेना के नरेश म्हस्के, कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़, BJP की मेधा कुलकर्णी, प्रवीण पटेल, विद्युत बरन महतो और दिलीप सैकिया भी शामिल हैं। सांसद एनके प्रेमचंद्रन को 5वीं बार संसद रत्न अवॉर्ड मिला है। कमेटी कैटेगरी में, भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता वाली वित्त संबंधी स्थायी समिति और डॉ. चरणजीत सिंह चन्नी (कांग्रेस) की अध्यक्षता वाली कृषि संबंधी स्थायी समिति को उनकी रिपोर्टों की गुणवत्ता और विधायी निगरानी में योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

गोल्ड लोन हुए दोगुने विदेशी पढ़ाई के लिए लोन में 25% की कमी

देश में गोल्ड ज्वैलरी पर लोन एक साल में दोगुने हो गए हैं। मई, 2024 तक देश में कुल गोल्ड लोन 1.16 लाख करोड़ रुपए के थे। मई, 2025 में यह बढ़कर 2.51 लाख करोड़ रुपए के हो चुके हैं। जबकि विदेशों में पढ़ाई के लिए लोन में 25.2% की कमी आई है। आरबीआई के एलआरएस रूट से विदेशों में पढ़ाई के लिए 2025-26 के प्रथम दो माह में कुल 2,663.05 करोड़ रुपए भेजे गए। जबकि पिछले साल के प्रथम दो महीनों में 3,561.5 करोड़ रुपए का एजुकेशन लोन विदेशों में भेजा गया।

समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भारतीय तटरक्षक को मिला 'समुद्र प्रचेत'

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 23 जुलाई 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए 'समुद्र प्रचेत' नामक स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत (PCV) लॉन्च किया है। यह दो जहाजों की श्रृंखला का अंतिम पोत है और इसमें 72% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। यह पोत अत्याधुनिक तेल रिसाव नियंत्रण उपकरणों से सुसज्जित है और विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारत की समुद्री पर्यावरण सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगा। परियोजना ने स्थानीय उद्योग और MSME क्षेत्र में रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा दिया है।

भारत ने पहली हाइड्रोजन ट्रेन कोच का परीक्षण किया, हरित रेल को बढ़ावा दिया

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि भारतीय रेलवे ने चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) में देश के पहले हाइड्रोजन चालित कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वैष्णव ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "पहले हाइड्रोजन-चालित कोच (ड्राइविंग पावर कार) का आईसीएफ, चेन्नई में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। भारत 1,200 एचपी की हाइड्रोजन ट्रेन विकसित कर रहा है। इससे भारत हाइड्रोजन-चालित ट्रेन तकनीक में अग्रणी देशों में शामिल हो जाएगा।

पेट्रोल में 20% इथेनॉल का लक्ष्य 5 साल पहले हासिल

भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य तय समय से 5 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया है। यह लक्ष्य मूल रूप से वर्ष 2030 तक के लिए निर्धारित किया गया था। वर्ष 2014 में इथेनॉल उत्पादन मात्र 38 करोड़ लीटर था, जो जून 2025 तक बढ़कर 661 करोड़ लीटर हो गया है। इससे किसानों को लगभग 1.18 लाख करोड़ रुपये और डिस्टिलरियों को लगभग 1.96 लाख करोड़ रुपये की आय हुई है।

ड्रोन से दागी गई सटीक मिसाइल की सफल उड़ान

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल स्थित नेशनल ओपन एयर रेंज (NOAR) में यूएवी-लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल V3 (ULPGM-V3) का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल, जिसे विस्तारित रेंज संस्करण में ULM-ER के नाम से भी जाना जाता है, भारत की स्वदेशी ड्रोन-लॉन्च हथियार प्रणालियों में नवीनतम उपलब्धि का प्रतीक है।

पूर्व वित्त सचिव अजय सेठ को IRDAI का अध्यक्ष नियुक्त

पूर्व वित्त एवं आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को सरकार ने तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) का अध्यक्ष नियुक्त किया है। सरकार ने बताया कि यह नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि, या पदधारी के 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए की गई है। 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी अजय सेठ, जो जून में केंद्रीय वित्त सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, अब पूर्व आईएएस अधिकारी देबाशीष पांडा की जगह IR-DAI के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। श्री पांडा का तीन वर्षों का कार्यकाल मार्च में समाप्त हो गया था, और तब से यह पद रिक्त था।

अटल पेंशन योजना से जुड़ने वालों की संख्या 8 करोड़ के पार

केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना से अब तक 8 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक इस सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 39 लाख नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं। इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु का वह प्रत्येक भारतीय शामिल हो सकता है, जो आयकरदाता नहीं है।

ओडिशाः छात्र संभालेंगे 3 घंटे तक ट्रैफिक

ओडिशा के दो शहरों, भुवनेश्वर और कटक में 'स्टूडेंट ट्रैफिक वॉलंटियर' पहल शुरू की गई है। इसमें 23 छात्राओं समेत कुल 53 कॉलेज छात्र शामिल हैं। ये वॉलंटियर्स हर दिन 3 घंटे ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करेंगे। इस पहल का उद्देश्य ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाना और युवाओं में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। काम का समय छात्र अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं। इस कार्य के लिए उन्हें 200 रुपये प्रति दिन मानदेय भी मिलेगा।

अंतरराष्ट्रीय

पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा शहर दक्षिण कोरिया का सियोल

QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2026 की नई रैंकिंग आ चुकी है, जो दुनियाभर के 150 शहरों को छात्रों के लिए पढ़ाई, खर्च, जीवनस्तर और करियर के नजरिए से आंकती है। इस साल दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल ने पहला स्थान हासिल किया है। इसकी वजह यहां की यूनिवर्सिटी, छात्रों के लिए अनुकूल वातावरण और नौकरी के अवसर हैं। सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी और केएआईएसटी यहां की मजबूत शैक्षणिक रैंकिंग में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जबकि ब्रिटेन की राजधानी लंदन, जो पिछले छह वर्षों से नंबर-1 पर थी, तीसरे स्थान पर खिसक गई है। भारतीय शहरों की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों ने इस बार अपनी रैंक में जबरदस्त सुधार किया है। इनमें दिल्ली को छात्रों के रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे सस्ता शहर घोषित किया गया है, जबकि मुंबई भारत का सबसे अच्छी स्टूडेंट सिटी बनी है।

ड्रोन और रोबोट अब अंधेरे में भी रास्ता पहचान सकेंगे

अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के शोधकर्ताओं ने एक एआई सिस्टम विकसित किया है, जो ड्रोन व रोबोट को अंधेरे में भी रास्ता पहचानने में मदद करता है। यह कैमरा, जीपीएस या लेजर सेंसर के बिना काम करता है।

भारत-ब्रिटेन एफटीएः 34 अरब डॉलर व्यापार व रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) 34 अरब डॉलर के व्यापार और लाखों रोजगारों की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत से 99% निर्यात पर शुल्क समाप्त होगा, जिससे वस्त्र, मछली, रसायन, चमड़ा, आभूषण जैसे क्षेत्रों को बड़ा लाभ मिलेगा। तिरुपुर, सूरत, लुधियाना जैसे शहरों के एमएसएमई और कृषि निर्यातकों को भी इसका सीधा फायदा होगा। ब्रिटेन से आयात शुल्क में भी भारी कटौती होगी। निवेश और रोजगार दोनों देशों में बढ़ेंगे। यह समझौता भारत के 100 अरब डॉलर निर्यात लक्ष्य की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।

माइक्रोसॉफ्ट बनाएगा 'नोट्रे-डेम कैथेड्रल' की डिजिटल प्रतिकृति

अमेरिकी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट पेरिस स्थित नोट्रे-डेम कैथेड्रल की एक डिजिटल प्रतिकृति तैयार कर रही है। यह कैथेड्रल फ्रांस का सबसे अधिक देखा जाने वाला स्मारक है, जिसे 2019 में लगी विनाशकारी आग के बाद दिसंबर 2024 में फिर से खोला गया। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि यह डिजिटल मॉडल न केवल वास्तुकला का दस्तावेज होगा, बल्कि उन लोगों को वर्चुअल अनुभव भी प्रदान करेगा जो कैथेड्रल को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते।

इसरो अध्यक्ष वी. नारायणन को जीपी बिड़ला स्मृति पुरस्कार से सम्मानित

जीपी बिड़ला पुरातत्व, खगोलीय एवं वैज्ञानिक संस्थान ने इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव वी. नारायणन को जीपी बिड़ला स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया। संस्थान की अध्यक्ष श्रीमती निर्मला बिड़ला ने यह सम्मान प्रदान किया। यह पुरस्कार वैज्ञानिक प्रगति में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को दिया जाता है। अब तक इसके अंतर्गत 32 नोबेल पुरस्कार विजेताओं को भी सम्मानित किया जा चुका है। इनमें भारतीय मूल के नोबेल विजेता वेंकटरमण रामकृष्णन, प्रख्यात सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी जोगेश पति, पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम और पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ. कस्तूरीरंगन जैसे वैज्ञानिक शामिल हैं।

चीन ने अब तक का सबसे सस्ता ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया

चीन की यूनिट्री रोबोटिक्स ने अपना नया ह्यूमनॉइड रोबोट R1 लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत लगभग 5 लाख रुपये रखी गई है। कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे सस्ता ह्यूमनॉइड रोबोट है, जिसे खास तौर पर डेवलपर्स और आम उपभोक्ताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है।

अमेरिका में मिला 34 करोड़ साल पुराना शार्क का दांत

अमेरिका के केंटकी राज्य में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी गुफा प्रणाली - मैमथ केव नेशनल पार्क में वैज्ञानिकों को 34 करोड़ वर्ष पुराना शार्क के दांत का जीवाश्म मिला है। यह दांत एक नई प्रजाति का है, जिसे वैज्ञानिकों ने "मैकाडेन्स ओल्सनी" नाम दिया है। लगभग आधा इंच लंबा यह दांत उस समय के समुद्री जीवन की एक दुर्लभ झलक प्रस्तुत करता है। नेशनल पार्क सर्विस ने यह जानकारी 'शार्क वीक' की शुरुआत के तुरंत बाद साझा की।

'प्रलय' का परीक्षणः 500 किमी तक सटीक निशाना

बालासोर। भारत ने स्वदेशी तकनीक से विकसित की गई नई सामरिक मिसाइल 'प्रलय' का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर तक सतह से सतह पर सटीक वार कर सकती है। यह एक क्वासी-बैलिस्टिक मिसाइल है, अर्थात् उड़ान के दौरान यह अपने मार्ग में बदलाव कर सकती है।

पुरातत्वविदों ने 3,500 साल पुराने कब्रिस्तान में खोजी 'बुक ऑफ द डेड'

मिस्र के पुरातत्वविदों ने 3,500 साल पुराना एक कब्रिस्तान खोजा है। इसमें उन्हें कई ममी, मूर्तियां और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली हैं। इस खोज में सबसे खास 'बुक ऑफ द डेड' यानी मृतकों की पुस्तक की एक प्रति है। यह एक 43 फीट लंबे पपीरस स्क्रॉल पर लिखी गई है। यह एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण खोज है। इसे प्राचीन मिस्र के धार्मिक ग्रंथों का संग्रह माना जाता है।

भारतीय मूल के निखिल बने एयर न्यूजीलैंड के सीईओ

भारतीय मूल के निखिल रविशंकर को एयर न्यूजीलैंड का सीईओ नियुक्त किया गया है। वे 20 अक्टूबर को यह पदभार संभालेंगे। वर्तमान सीईओ ग्रेग फोरान मार्च में इस्तीफे का ऐलान कर चुके हैं। निखिल वर्तमान में एयरलाइन के चीफ डिजिटल ऑफिसर हैं।

'निसार' उपग्रह को कक्षा में स्थापित

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के बीच साझेदारी के तहत 30 जुलाई 2025 को जीएसएलवी रॉकेट से 'निसार' उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया गया। 'निसार' पृथ्वी-अवलोकन उपग्रह को दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।

खेल / कला

हल्क होगन का 71 साल की उम्र में निधन

पेशेवर कुश्ती की दुनिया के मूंछों वाले और सिर पर स्कार्फ़ बांधने वाले दिग्गज हल्क होगन का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, फ्लोरिडा पुलिस और WWE ने यह जानकारी दी। होगन, जिनका असली नाम टेरी बोलिया था, WWE के लंबे इतिहास में शायद सबसे बड़े स्टार थे। 1985 में हुए पहले रेसलमेनिया में वे मुख्य आकर्षण थे और सालों तक एक स्थायी खिलाड़ी रहे, जहाँ उन्होंने आंद्रे द जाइंट और रैंडी सैवेज से लेकर द रॉक और यहाँ तक कि कंपनी के चेयरमैन विंस मैकमोहन तक, सभी का सामना किया।

अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश में भारत को दिलाया 15 वर्षों बाद पदक

दिल्ली की 17 वर्षीय अनाहत सिंह ने मिस्र के काहिरा में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल का कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। यह भारत का इस प्रतियोगिता में 15 वर्षों बाद पहला पदक है। अनाहत सेमीफाइनल में मिस्र की नादियन एल्हममी से हार गईं, लेकिन उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। वह 2010 में दीपिका पल्लीकल के बाद पोडियम तक पहुँचने वाली पहली भारतीय बनीं। लगातार तीन बार क्वार्टर फाइनल में हारने के बाद यह सफलता उनके लिए बड़ी उपलब्धि है।

गीतांजलि श्री को 'वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर' के लिए पेन ट्रांसलेट पुरस्कार

अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उनकी पुस्तक 'वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर' के लिए पेन ट्रांसलेट अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। लंदन स्थित मानवाधिकार संगठन 'इंग्लिश पेन' ने यह जानकारी दी। 'इंग्लिश पेन' ने बताया कि इस वर्ष 11 क्षेत्रों की 13 भाषाओं में रची गई 14 पुस्तकों को पेन ट्रांसलेट अवॉर्ड के लिए चुना गया है। यह चयन पेन ट्रांसलेट और एसएएलटी के सहयोग से किया गया। विजेताओं में भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री की 'वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर' और पाकिस्तानी शायरा सारा शगुफ्ता की 'आइज, आइज, आइज' शामिल हैं।

एशिया कप से पहले हॉन्ग कॉन्ग के कोच बने सिल्वा

श्रीलंका के पूर्व टेस्ट बल्लेबाज़ कौशल सिल्वा को एशिया कप से पहले हॉन्ग कॉन्ग पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। 39 वर्षीय सिल्वा ने 2011 से 2018 के बीच श्रीलंका के लिए 39 टेस्ट मैच खेले, जिनमें उन्होंने 28.36 की औसत से 2,099 रन बनाए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके नाम 13,932 रन दर्ज हैं। कोचिंग के क्षेत्र में सिल्वा पहले ही श्रीलंका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की घरेलू टीमों के साथ काम कर चुके हैं।

मुख्यमंत्री से किक बॉक्सिंग पदक विजेता खिलाड़ियों ने की सौजन्य मुलाकात

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में पदक विजेता खिलाड़ियों ने सौजन्य भेंट की। उन्होंने खिलाड़ियों को और अधिक मेहनत कर प्रदेश का नाम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रदेश के विजेता खिलाड़ियों में रजत पदक विजेता अन्नू देवी कुंवर, दीप्ति साहू तथा कांस्य पदक विजेता संजना कन्नौजिया और हर्षा सेन शामिल थीं। प्रशिक्षक श्री विशाल हियाल भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

जोरिच यूथ वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने

दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 टीम के ओपनर जोरिच वैन शाल्कविक ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने जिम्बाब्वे अंडर-19 के खिलाफ 215 रन की शानदार पारी खेली। यह पुरुष यूथ वनडे (अंडर-19 वनडे) में पहला दोहरा शतक है। उन्होंने अपनी पारी में 153 गेंदों का सामना करते हुए 19 चौके और 6 छक्के लगाए। इससे पहले यूथ वनडे का सर्वोच्च स्कोर श्रीलंका के हसोथा बोयागोड़ा के नाम था, जिन्होंने 2018 में 191 रन बनाए थे। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 385 रन बनाए, जवाब में जिम्बाब्वे की पूरी टीम सिर्फ 107 रन पर सिमट गई। दक्षिण अफ्रीका ने यह मुकाबला 278 रन से जीत लिया। जोरिच को उनकी ऐतिहासिक पारी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

देश की पहली महिला चेस वर्ल्ड कप विजेता बनीं दिव्या देशमुख

19 वर्षीय युवा शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख देश की पहली महिला चेस वर्ल्ड कप चैंपियन बन गई हैं। उन्होंने जॉर्जिया के बटुमी में आयोजित फिडे महिला शतरंज विश्व कप (FIDE Women's Chess World Cup) के फाइनल में भारत की ही ग्रैंडमास्टर 38 वर्षीय कोनेरू हम्पी को टाई-ब्रेक मुकाबले में हराया। फाइनल के दो क्लासिकल मुकाबले 19 और 20 जुलाई को खेले गए, जो ड्रॉ रहे। अगले दिन हुए टाई-ब्रेक में दिव्या ने 2.5-1.5 के स्कोर से जीत दर्ज की। इस ऐतिहासिक जीत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दिव्या देशमुख को बधाई दी।

स्रोत : pib, newsonair, ptinews, aninews

भव्या ने अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड में जीता रजत पदक

अटेली कस्बे के चिकित्सक दंपत्ति डॉ. अनिल यादव व डॉ. सुमन यादव की बेटी भव्या गुणवाल ने 56वें अंतर्राष्ट्रीय बायलॉजी ओलंपियाड में रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। यह स्पर्धा फिलीपींस के क्विज़ीन सिटी में 20 से 26 जुलाई को आयोजित हुई, जिसमें 77 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इससे पहले भव्या रोमानिया में आयोजित 21वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड (आईजेएसओ) में स्वर्ण भी जीत चुकी है।

अंकिता ने 3 हजार मीटर स्टीपलचेज में जीता रजत पदक

भारत की स्टीपलचेज एथलीट अंकिता ने विश्व विश्वविद्यालय खेलों के अंतिम दिन 9:31.99 सेकेंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ 3000 मीटर स्पर्धा में रजत पदक जीता। कई भारतीय एथलीट ट्रैक स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। 23 वर्षीय अंकिता ने अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय 9:39.00 सेकेंड से लगभग सात सेकेंड कम समय में रजत पदक जीता। वह फिनलैंड की इलोना मारिया मोनोनेन (9:31.86 सेकेंड) के मिली सेकेंड से पीछे रहीं। जर्मनी की अदिया बुड्डे ने 9:33.34 सेकेंड का समय लेकर कांस्य पदक जीता।

कार्यालय संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवायें

चाँदनी चौक कलेक्ट्रोरेट रोड़ जगदलपुर जिला-बस्तर (छ०ग०)

फोन नम्बर 07782-222405 फैक्स नं. 221120

क्रमांक/3407/ स्था०ब /2025-26/ जगदलपुर, दिनांकः- 25/07/2025

कलेक्टर जिला-बस्तर के द्वारा समय सीमा की बैठक में दिये गये निर्देश के परिपालन में कार्यालय संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवायें जगदलपुर जिला-बस्तर के अंतर्गत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारीयों के रिक्त पदों पर एक मुश्त 18000/- मासिक मानदेय पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र मूल प्रमाण पत्रो की सत्यापित की छायाप्रति सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में आवेदन पत्र दिनांक 11.08.2025 तक तिथि व समय के पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगें। प्रातः 10:00 से सांय 5:00 बजे तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आंमत्रित किया जा रहा है। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगें। रिक्त पदो का विवरण निम्नानुसार है।

क्र	पदनाम	मासिक मानदेय	रिक्त पद संख्या	वर्गवार रिक्त पद															
				अनारक्षित				अजजा				अजा				अपिव			
				मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू.पू.सै.
01	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी (तृतीय श्रेणी)	18000	15	3	1	0	0	7	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0

आवश्यक शैक्षणिक योग्यताः-

1. पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी (AVFO) पद हेतु मान्यता प्राप्त संस्था से 10+2 बायोलॉजी विषय में उत्तीर्ण एवं वेटनरी पॉलीटेक्निक डिप्लोमा (पशुपालन में पत्रोपाधी का प्रमाण-पत्र) संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

शर्ते एवं चयन प्रक्रियाः-उक्त पदों पर 1 वर्ष के लिये मासिक मानदेय पर भर्ती किया जायेगा।

(1) कृत्रिम गर्भाधान कार्य में दक्षता एवं बस्तर जिले के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जावेगी।

(2) सेवा अवधि के दौरान मानदेय में किसी प्रकार की कटौती (जी.पी.एफ/सी.पी.एफ) नहीं की जायेंगी।

(3) शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर आवेदकों का चयन किया जावेगा। शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक एवं अनुभव के आधार पर कुल अंक 100 होंगें अधिकतम 10 अंक अनुभव पर 90 अंको की गणना निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के प्राप्तांक के आधार पर की जावेगी। अनुभव की गणना प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये 2 अंक होंगें। जो अधिकतम 10 अंको तक देय होगा। अनुभव का लाभ शासकीय कार्य में नियुक्ति आदेश में लागु होगा। चयन उपरान्त अभ्यार्थी को उनके पदस्थापना स्थान में ही निवासरत होकर सेवा प्रदान किया जाना अनिवार्य होगा।

(4) उक्त नियुक्तियां कलेक्टर जिला बस्तर द्वारा गठित समिति के माध्यम से किया जावेगा, शासकीय नियंत्रण जिला स्तर पर संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, जिला बस्तर होगें।

(5) प्रतीक्षा सूची वैद्यता 01 वर्ष की होगी इस समयावधि में स्वीकृत नये पद अथवा त्याग पत्र या किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों को इसी प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा।

(6) मासिक मानदेय पर नियुक्त व्यक्ति छ०ग० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे।

(7) आवेदन पत्र के साथ रू. 5/- का टिकट सहित दो लिफाफा एवं समस्त दस्तावेजों को अच्छी तरह से नस्तीबद्ध किया जाये तथा पृष्ठ क्रमांक भी अंकित करें। आवेदन पत्र निर्धारित क्रम में ही व्यवस्थित रखें जैसे- 1. आवेदन पत्र 2. शैक्षणिक योग्यता 3. निवास प्रमाण पत्र 4. जाति प्रमाण पत्र 5. अनुभव हेतु नियुक्ति आदेश 6. अन्य प्रमाण पत्र 7. (02 लिफाफा) दोनों लिफाफे पर पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट अंकित करें।

उपरोक्त समस्त दस्तावेज रजिस्ट्री ए०डी० द्वारा भेजना अनिवार्य है।

(8) आवेदन पत्र के ऊपर आवेदित पद का पदनाम / जाति वर्ग एवं स्वयं का पता स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे।

(9) आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(10) अभ्यार्थी को आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो राजपत्रित अधिकारी/स्वयं के द्वारा सत्यापित कर चिपकाना होगा एवं आवश्यक प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।

(11) प्रशासकीय कारणों से अधिसूचित रिक्तियों में घटाया बढ़ाया जा सकता है या निरस्त भी किया जा सकता है।

(12) शासकीय/अर्धशासकीय संस्था एवं निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को उन संस्थाओं के नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा आवेदन विचारणीय नहीं होगा।

(13) दिनांक 01.01.2025 की स्थिति में न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होगी एवं शासन द्वारा समय समय पर आयु सीमा में दी गई छूट का प्रावधान होगा।

(14) अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटी पूर्ण आवेदन पत्र के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी। प्रत्येक आवेदक को चाहिये कि विज्ञापन में दिये गये दिशा निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण भरें। यदि आवेदन में जानकारी अपूर्ण या त्रुटी पूर्ण दी जाती है तो अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिये आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

(15) भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाले विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का सर्व अधिकार अध्यक्ष, चयन समिति जगदलपुर, जिला बस्तर का होगा।

(16) उक्त अभ्यर्थी को त्याग-पत्र देने के पूर्व 01 माह पूर्व सूचना देना होगा अथवा 01 माह का मानदेय जमा करना अनिवार्य होगा।

(17) एक माह से अधिक अवधि तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये जाने पर सेवाए स्वयमवे समाप्त मानी जावेगी।

(18) नियुक्ति अवधि में किसी भी प्रकार का धरना/हडताल इत्यदि मे जाने की अनुमति नही होगी, धरना/हडताल करने पर नौकरी से वंचित करने का अधिकार कलेक्टर बस्तर को होगा।

(19) उपरोक्त विज्ञापन के विरूद्व शासन/संचालक पशु चिकित्सा सेवायें द्वारा नियमित भर्ती या अन्य माध्यम से नियमित पदस्थापना की जाती है। मासिक मानदेय भर्ती स्वतः निरस्त माना जायेंगें। अथवा दूसरे स्थान पर कार्य करने हेतु निर्देशित किया जावेगा।

(20) अनुभव प्रमाण पत्र (यह केवल शासकीय संस्थान, सार्वजनिक संस्थानों एवं शासन वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानों या उपक्रमों का ही मान्य होगा।) अनुभव के लियें अधिकतम 10 अंक प्रत्येक वर्ष 02 अंक, जो अधिकतम 05 वर्षों के लिए ही होगा। नियुक्ति आदेश संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(21) पत्राचार हेतु पता-कार्यालय संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, चांदनी चौक जगदलपुर जिला-बस्तर छ०ग०, पिन-494001, ई०मेल-jdvsjagd.cg@nic.in पर ।

(22) भर्ती से संबंधित समस्त जानकारीयां https://bastar.gov.in में देखा जा सकता है।

संयुक्त संचालक,
पशु चिकित्सा सेवाये,
जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग)

आर.ओ.93/जी-252602422.5

श्रीमती बिलासा देवी केंवट मत्स्य विकास पुरस्कार वर्ष 2025-26 के लिए प्रविष्टियां

क्रमांक/1575/सं.म./यो./पुरस्कार/2025-26 नवा रायपुर, दिनांक 25/07/2025

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में मत्स्य विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मत्स्य पालक/मत्स्य कृषक/सहकारी संस्थाएं/ अशासकीय संगठन को श्रीमती बिलासा देवी केंवट मत्स्य विकास पुरस्कार के रूप में रूपये एक लाख दिये जाने की व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन, कृषि (मछली पालन) विभाग द्वारा की गई है। उक्त पुरस्कार हेतु आवेदन-पत्र जिला स्तर पर आमंत्रित है।

पुरस्कार पात्रता का मापदण्ड

- मत्स्य विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मत्स्य पालक / मत्स्य कृषक / सहकारी संस्थाएं/अशासकीय संगठन यह पुरस्कार प्राप्त करने के पात्र होंगे।
- मत्स्य विकास कार्यक्षेत्र अंतर्गत मत्स्य बीज उत्पादन एवं संवर्धन (स्पान एवं स्टेण्डर्ड फ्राई) मत्स्य उत्पादन (न्यूनतम 3000 किग्रा./हे) समन्वित मछली पालन (मछली सह मुर्गी, बतख, सुकर, डेयरी पालन) मत्स्य पालन हेतु अतिरिक्त जलक्षेत्र का विकास, विलुप्त होने वाले मछलियों के प्रजातियों का संरक्षण एवं मछलियों के बीमारियों की रोकथाम हेतु की गई अनुसंधान कार्य, मत्स्य पालन के क्षेत्र में नवीन अनुसंधान कार्यों पर, मत्स्य उत्पादकता वृद्धि हेतु नवीन पद्धतियों का उपयोग करने वाले मत्स्य पालक।
- मत्स्य पालक छत्तीसगढ़ क्षेत्र में मत्स्य पालन का कार्य कर रहे हो एवं छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो।
- पुरस्कार प्राप्त करने हेतु मत्स्य विकास प्रगति कार्यावधि 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 होगी।

पुरस्कार चयन हेतु आवेदन-पत्र

- मत्स्य विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मत्स्य पालक / मत्स्य कृषक / सहकारी संस्थाएं/अशासकीय संगठन जिला स्तर पर मछलीपालन विभाग के जिला कार्यालय से निर्धारित तिथि के पूर्व आवेदन-पत्र निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

आवेदन की शर्तें

- कोई भी व्यक्ति/संस्था/सहकारी समितियां एक से अधिक आवेदन नहीं कर सकेगी।
- प्रतियोगी/आवेदक अपना आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक प्रमाण-पत्रों के साथ मछलीपालन विभाग के जिला अधिकारी को निर्धारित दिनांक तक प्रस्तुत करेंगे।
- आवेदन के साथ दस्तावेज के रूप में कार्यों की छायाचित्र, वीडियो आदि जो भी उपलब्ध हो, जमा करावें।
- चयन समिति सदस्यों द्वारा आवश्यकतानुसार आवेदनकर्ता के कार्यक्षेत्र में जाकर कार्यों का अवलोकन किया जा सकेगा।
- समय-सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों एवं अपूर्ण आवेदन-पत्रों पर समिति द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।
- पुरस्कार चयन के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि-31 अगस्त, 2025

आवेदन-पत्र जमा करने का स्थान

आवेदकों द्वारा आवेदन-पत्र अपने संबंधित जिला के निम्नानुसार जिला कार्यालय में जमा करना होगा :-

उप संचालक मछली पालन/सहायक संचालक मछली पालन, जिला----------छ.ग.

चयन का मापदण्ड

- आवेदकों द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में उल्लेखित 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 के मध्य मत्स्य पालन हेतु किये गये उल्लेखनीय कार्यों की गुणवत्ता एवं गुण-दोषों के आधार पर शासन द्वारा गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा उत्कृष्ट मत्स्य पालन का चयन किया जावेगा।
- शासन द्वारा गठित राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा जिलों से प्राप्त चयनित उत्कृष्ट मत्स्य पालकों के प्राप्त प्रस्तावों पर मत्स्य पालन कार्यों की गुणवत्ता एवं गुण दोष के आधार पर उत्कृष्ट मत्स्य पालक का चयन पुरस्कार हेतु किया जावेगा।

टीप : श्रीमती बिलासा देवी केंवट मत्स्य विकास पुरस्कार हेतु विस्तृत जानकारी जिला स्तर पर पदस्थ मत्स्य विभाग के अधिकारी, विकासखंड स्तर पर मत्स्य निरीक्षक / सहायक मत्स्य अधिकारी से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

(एन.एस. नाग)
संचालक मछलीपालन
छत्तीसगढ़

आर.ओ.95/जी-252602397/5

संचालनालय, आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष), छत्तीसगढ़

ब्लॉक-1, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर 492002

फोन नं. (0771) 2221640, फैक्स-2221641 ईमेल-cgayush@gmail.com

धन्वंतरि सम्मान 2025 के लिए प्रविष्टियां

छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा तथा शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य स्तरीय "धन्वंतरि सम्मान" स्थापित किया गया है, जिसके लिए प्रविष्टियां/अनुशंसाएं आमंत्रित है.

1. चयन समिति की अनुशंसा पर शासन द्वारा अंतिम रूप से घोषित व्यक्ति/संस्था को एक लाख रूपये नगद और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जायेगा.
2. प्रविष्टियां निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 25.08.2025 तक प्राप्त हो जाना चाहिए। विलम्ब से प्राप्त होने वाली प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. जिस लिफाफे में प्रविष्टियां भेजी जावें, उस पर "धन्वंतरि सम्मान 2025" अंकित किया जाना आवश्यक है।

आवेदन का प्रारूप संचालनालय आयुष के वेबसाईट WWW.AYUSH.CG.GOV.IN Or WWW.CGHEALTH.IN से प्राप्त किया जा सकता है।

आयुक्त
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा,
यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष), छत्तीसगढ़

धन्वंतरि सम्मान 2025 के लिए प्रविष्टि का निर्धारित प्रपत्र

यहां पर स्वयं का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फोटो चिपकायें ।

1. प्रविष्टिकर्ता का नाम,
2. पिता/पति का नाम,
3. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता,
4. जन्म तिथि,
5. शैक्षणिक योग्यता,
6. बायोडाटा (संक्षिप्त में)
7. आयुर्वेद चिकित्सा, शिक्षा तथा शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में उत्कृष्ट योगदान के लिए किये गये कार्यों की सप्रमाण विस्तृत जानकारी,
8. प्रविष्टिकर्ता द्वारा किये गये कार्य तथा इसके सैद्धांतिक पक्ष के विषय में प्रकाशन की सत्यापित छायाप्रति,
9. किये गये कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं/ग्रंथ के माध्यम से उपलब्ध साहित्य,
10. पूर्व में यदि कोई अन्य सम्मान/पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण,
11. चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने हेतु उपस्थित होने की लिखित सहमति.
12. संस्था द्वारा प्रविष्टि प्रस्तुत करने की स्थिति में संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र, बायलॉज एवं अन्य सुसंगत दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
13. 02 पासपोर्ट साइज फोटो

हस्ताक्षर

आर.ओ.94/जी-252602402/5

संचालनालय, आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी, (आयुष) छत्तीसगढ़

ब्लॉक-1, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर 492002

फोन नं. (0771) 2221640, फैक्स 2221641, ईमेल cgayush@gmail.com

क्रमांक / महा./प्रवेश / स्नातक/2025-26/3504 नवा रायपुर, दिनांक 25 JUL 2025

// आवश्यक सूचना //

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य के सभी शासकीय एवं निजी आयुष पाठ्यक्रमों महाविद्यालयों के आयुष स्नातक (बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.एन.वाय.एस.) पाठयक्रमों में प्रवेश की कार्यवाही छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2023 में निहित प्रावधान अनुसार संचालनालय द्वारा गठित राज्य काउंसिलिंग समिति द्वारा किया जावेगा। अतः किसी व्यक्ति / संस्था / एजेंसी के प्रलोभन में न फसें।

संयुक्त संचालक
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा,
यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़

आर.ओ.96/जी-252602426/6

कार्यालयः- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ०ग०)

क्रमांक/459/LADCS/2025 — दंतेवाड़ा, दिनांक 23.07.2025

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि 24/07/2025 सुबह 11:00 बजे से
आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि-12/08/2025 संध्या 05:00 बजे तक
आवेदन प्रस्तुत करने का स्थान कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा

टीपः- कोरियर, ई-मेल, अथवा फैक्स के माध्यम से प्राप्त आवेदन पर विचार नही किया जायेगा।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के दिशा निर्देशों के परिपालन में कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) में लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम के अंतर्गत कार्यालय सहायक/ क्लर्क एवं कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट) कर्मचारियों के निम्न रिक्त पदों पर संविदात्मक भर्ती हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों के अभ्यर्थियों से निधारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैः-

क्र.	रिक्त पद	रिक्त पदों की संख्या	योग
01	कार्यालय सहायक / क्लर्क	01	01
02	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)	02	02

टीपः-

क- परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दंतेवाड़ा के पास सुरक्षित रहेगा।

ख- संविदात्मक पद पर नियुक्त कर्मचारी की सेवा नियुक्ति दिनांक से 01 वर्ष की अवधि के लिये ही है। नियुक्ति किये गये स्टाफ की उपस्थिति, कार्यप्रणाली संतोषप्रद, व्यवहारिक एवं व्यवस्थित होने तथा नालसा के निर्देशानुसार कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है अथवा संतोषजनक कार्य नहीं पाये जाने पर उनकी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

01. भर्ती की पात्रता एवं शर्ते

(1) कार्यालय सहायक / क्लर्क पद के लिये-

अ- वेतनमान क्लास-सीः संविदा एक मुश्त 15,000/- रू० (मासिक)

(ब) शैक्षणिक योग्यता -

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण। (Educational Qualification: Graduation)
2. बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कंप्यूटर संचालित करने की क्षमता और डेटा फीड करने का कौशल होना चाहिये। (Basic word processing skills and the ability to operate computer and skills to feed data.)
3. पेपर की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग गति की दक्षता होनी आवश्यक है। (Good Typing speed with proper setting of petition.)
4. श्रुतलेख लेने और न्यायालयों में प्रस्तुति के लिये फाइलें तैयार करने की क्षमता होनी चाहिये। (Ability to take dictation and prepare files for presentation in the Courts.)
5. फाइल रखरखाव और प्रसंस्करण का ज्ञान होना चाहिये। (File maintenance and processing knowledge.)

(2) कार्यालय भृत्य (मुंशी / अटेन्डेंट) पद के लियेः-

अ- वेतनमान क्लास-सीः- संविदा एकमुश्त 9,000/- रू० (मासिक)

ब- शैक्षणिक योग्यता :-

किसी मान्यता बोर्ड से न्यूनतम कक्षा पांचवी एवं अधिकतम कक्षा आठवीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो। सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण-पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करें।

लाईट मोटर व्हीकल (एल०एम०व्ही०) लाइसेंसधारी आवेदक को चयन/नियुक्ति में प्राथमिता दी जावेगी।

नोटः- आवेदक को आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह कक्षा आठवीं से अधिक की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है। यदि आवेदक कक्षा आठवीं से अधिक की शैक्षणिक योग्यता रखता है तो उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जावे।

02. आयु एवं पात्रता
(कार्यालय सहायक / क्लर्क एवं कार्यालय भृत्य (मुंशी अटेन्डेंट)

01- रोजगार कार्यालय में पंजीयन जीवित हो (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी)

(अ) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(ब) कोई पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित है और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु यदि शासन को इस बात का समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण है, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(2) उम्मीदवार द्वारा दिनांक 01.01.2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई हो, परन्तु 35 वर्ष से अधिक न हो। छत्तीसगढ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट प्रदान की गई है।

(3) किसी भी परिस्थिति में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी। छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर अन्य राज्य के आवेदकों के लिये अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी।

(4) आवेदक किसी शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो।

03. उच्चतर आयु सीमा में छूट :-

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी।

(1) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जावेगी

(2) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी वर्कचार्ज या कंटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों / मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 43 वर्ष तक रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजन कियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिये भी स्वीकार्य होगी।

(3) ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष की कालावधि, भले ही कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु उसके परिणाम स्वरूप आयु सीमा 03 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः- छंटनी किये गये शासकीय सेवक से तात्पर्य है, जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 06 माह तक रहा हो तथा किसी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 03 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(4) ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप में आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(5) महिलाओं के लिये आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी, जो उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

(6) शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिये 06 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग / विधवा / परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

(7) विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा, महिलाओं के लिये उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।

(8) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वॉलेन्टरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 08 वर्ष की सीमा में अध्यधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(9) संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उतने वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 43 वर्ष की आयु सीमा तक होगी।

(10) शारीरिक रूप से अक्षम सेवा योग्य (दृष्टिहीन, श्रवणबाधित तथा अस्थिबाधित के उम्मीदवारों) व्यक्तियों के लिये 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

क्रमशः

(11) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के संवर्ण सहभागी को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

नोटः- आयु सीमा में छूट हेतु सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(12) विक्रम पुरस्कार प्राप्त सम्मानित खिलाड़ियों एवं उत्कृष्ठ खिलाड़ियों एवं प्रचलित शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

उदाहरणः- यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ-साथ विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये अधिकतम आयु सीमा 05 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

उपरोक्त बिन्दु कमांक 1 और 2 में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

नोटः- अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में सक्षम अधिकारी / नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आयु सीमा छूट एवं निर्योग्यता सामान्य प्रशासन विभाग (छ०ग० शासन) द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश अनुसार भी लागू रहेगा।

04. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया

1. विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्णतः साफ सुथरा भरे हुये बंद लिफाफे में जिसके ऊपर आवेदित पद का नाम मोटे अक्षरों में उल्लेखित हो, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.), पिन-494449 में दिनांक 12/08/2025 की संध्या 5:00 बजे तक कार्यालय में रजिस्ट्री डाक या स्पीड पोस्ट से प्रेषित करना होगा।
2. दिनांक 12.08.2025 की संध्या 5:00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. आवेदन पत्र के साथ जन्मतिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र (शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत शासकीय सेवकों को छोड़कर) की अभिप्रमाणित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. अभ्यर्थी को एक से अधिक पद के लिये आवेदन हेतु पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है।
5. विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दंतेवाड़ा, जिला-दंतेवाड़ा के कार्यालयीन वेबसाईट https://dantewada.dcourts.gov.in में किया जा सकता है तथा विज्ञापन में दिए गए आवेदन पत्र के प्रारूप का उपयोग डाउनलोड कर किया जा सकता है।
6. आवेदन पत्र में आवेदक का स्वप्रमाणित नवीनतम फोटो चस्पा होना चाहिये तथा पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड/वोटर कार्ड /ड्रायविंग लायसेंस / पेन कार्ड आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें
7. आवेदक के हस्ताक्षर अनिवार्य है, वहां पर बिना हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, फोटोग्राफ एवं आवेदित पद की अर्हता से संबंधित वांछित दस्तावेज के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
8. आवेदक आवेदन पत्र जमा करने के पूर्व आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित कर लेवें, अन्यथा बाद में आवेदन पत्र से भिन्न प्राप्त दस्तोवजों पर विचार नही किया जावेगा, साथ ही इस संबंध में पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।
9. आवेदन पत्र में किसी प्रकार की मूलभूत त्रुटि अथवा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
10. प्राप्त आवेदन पत्रों की चयन समिति द्वारा परीक्षण उपरांत पात्र एवं अपात्र आवेदकों की सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय के वेबसाईट-https://dantewada.dcourts.gov.in में तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के सूचना पटल पर प्रकाशित किया जायेगा। उक्त प्रकाशन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो आवेदक 3 दिवस के भीतर स्वतः आकर लिखित आपत्ति चयन समिति के समक्ष पेश कर सकेंगे। अंतिम पात्र सूची आपत्ति के निराकरण पश्चात वेबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी।
11. दावा आपत्ति के निराकरण पश्चात पात्र आवेदकों को रोल नंबर आबंटित किया जावेगा। आबंटित रोल नंबर, नाम, पिता/पति का नाम एवं पता सहित सूची, परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी जिला न्यायालय दंतेवाडा के वेबसाईट :https://dantewada.dcourts.gov.in पर अपलोड की जायेगी। अभ्यर्थी वेबसाईट से अपना रोल नंबर डाउनलोड कर सकेंगे।

05. कार्यालय सहायक / क्लर्क (संविदा) के पद पर नियुक्ति हेतु चयन विधि

01. कार्यालय सहायक / क्लर्क (संविदात्मक) के रिक्त पदों की संख्या से 10 गुना तक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सभी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जावेगा, किन्तु रिक्त पदों की संख्या से 10 गुना से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर स्नातक की परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार रिक्त पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा।

02. यदि अभ्यर्थियों में से ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन प्रस्तुत करते है, जिनके स्नातक के प्राप्तांक ग्रेडिंग सिस्टम के अंतर्गत दिये गये है, तो उनके प्राप्तांकों एवं ग्रेडिंग सिस्टम में प्राप्त अंको का मूल्यांकन कर उनके प्राप्तांको का मिलान शेष अभ्यर्थियों के प्राप्तांक से करते हुये पृथक से प्रावीण्य सूची तैयार की जा सकेगी और उसके आधार पर रिक्त पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।

कार्यालय सहायक/क्लर्क (संविदा) के पद हेतु कौशल परीक्षा

कार्यालय सहायक / क्लर्क (संविदा) के रिक्त पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों को निम्नलिखित कौशल परीक्षा हेतु आहूत किया जावेगाः-

कार्यालय सहायक / क्लर्क पद हेतुः-

(अ) कौशल परीक्षा अभ्यर्थियों को लगभग 250 शब्द का हिन्दी गद्यांश दिया जायेगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा। कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी। गद्यांश में प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा (1/2) अंक काटा जायेगा, जो कि हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप में प्रत्येक अशुद्धि इत्यादि के लिए भी होगा। टाईपिंग में 40 या उससे अधिक त्रुटिया पाये जाने पर आवेदक को अनर्ह माना जावेगा। कौशल परीक्षा उबंटू/लाईनेक्स/लिब्रे-आफिस/विंडोज ओ.एस./एम.एस.वर्ड. कृतिदेव में ली जावेगी।

6. भृत्य (संविदा) नियुक्ति हेतु चयन विधि

(अ) भृत्य (संविदा) के रिक्त पदों की संख्या से 10 गुना तक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सभी अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा, किन्तु रिक्त पदों की संख्या से 10 गुना से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर पांचवी की परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार कर रिक्त पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों की दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

(ब) भृत्य पद के लिये आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होनी चाहिये। कक्षा आठवीं से अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्ति / अभ्यर्थी भृत्य के पद के लिये अपात्र माने जायेंगे। (तत्संबंध में अभ्यर्थियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के संबंध में आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा)

(स) यदि अभ्यर्थियों में से ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन प्रस्तुत करते है, जिनके 5 वीं के प्राप्तांक ग्रेडिंग सिस्टम के अंतर्गत दिये गये है, तो उनके प्राप्तांको के संबंध में छ.ग. के शिक्षा विभाग से ग्रेडिंग सिस्टम से संबंधित दिशा-निर्देशों तथा प्राप्तांकों के आधार पर प्रवीण्य सूची तैयार की जा सकेगी और उसके आधार पर रिक्त पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा। अंतिम प्राप्तांक के सभी अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा, चाहे यह संख्या आवेदित पद के 10 गुना से अधिक हो।

(द) भृत्य (संविदा) के पद के चयन हेतु दक्षता परीक्षा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा द्वारा गठित भर्ती कमेटी द्वारा आयोजित की जा सकेगी। दक्षता परीक्षा में अंक प्रदान किये जाने का मापदंड समिति द्वारा निर्धारित किया जावेगा। विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। भिन्न प्रारूप में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।

(ध) अभ्यर्थियों के चयन का आधार दक्षता परीक्षा के प्राप्तांक रहेंगे, जिसके आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। दक्षता परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने पर अधिक उम्र के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी। जन्मतिथि भी समान होने पर आठवीं परीक्षा में अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी। यदि आठवीं में भी समान अंक हो जाते है तो ऐसी स्थिति में चयन समिति अन्य आधारों पर विचार कर निर्णय हेतु स्वतंत्र होगी।

(न) भृत्य (संविदा) के पदों पर चयन हेतु 25 अंको की दक्षता परीक्षा आयोजित की जावेगी, जिसमें अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता एवं कार्य के कुशलता इत्यादि बिन्दुओं पर रखा जावेगा।

07. चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची

01. कार्यालय सहायक / क्लर्क (संविदात्मक) के पद हेतु कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर एवं भृत्य (संविदा) के पद हेतु दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी और उक्त सूची के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा। उपरोक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो कि 1:3 के अनुपात में होगी। प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होनी की तिथि से एक माह तक प्रभावशील होगी। सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की वेबसाईट https://dantewada.

क्रमशः

dcourts.gov.in में एवं कार्यालय के सूचना पटल पर किया जावेगा।

02. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को होगा।

03. कौशल परीक्षा/दक्षता परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में कक्षा 10 वीं (कार्यालय सहायक/क्लर्क हेतु) एवं कक्षा पांचवीं (भृत्य हेतु) की अंक सूची में उल्लेखित जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, अर्थात जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

04. कौशल परीक्षा/दक्षता परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने एवं समान जन्मतिथि होने की दशा में संबंधित पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अर्थात आफिस असिस्टेंट (संविदा) हेतु स्नातक परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंक प्रतिशत के आधार पर तथा भृत्य (संविदा) के पद हेतु कक्षा पांचवी में प्राप्त किये गये अंक प्रतिशत के आधार पर वरीयता दी जावेगी अर्थात जिस अभ्यर्थी द्वारा अधिक अंक प्रतिशत अर्जित किये गये होगें, उसे वरीयता दी जावेगी।

08. महत्वपूर्ण निर्देश

1. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा।
3. चयनित अभ्यर्थियों को इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण वर्तमान में लंबित नही है तथा पूर्व में उसे किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं किया गया है।
4. चयनित उम्मीदवारों के जिसे नियुक्ति आदेश जारी किये गये हो, कार्यभार ग्रहण किये जाने पश्चात् पुलिस सत्यापन नियमानुासार कराया जायेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
5. जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेगें, उनकी दावेदारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जायेगी।
6. आवेदक जिला न्यायालय की वेबसाईट-https://dantewada.dcourts.gov.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर कौशल परीक्षा / दक्षता परीक्षा हेतु उपस्थित हो सकेंगे। पृथक से कोई प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया जावेगा। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी के छायाचित्र कॉलम में नवीनत रंगीन फोटो चस्पा एवं स्वहस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा, साथ ही पहचान संबंधी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, मतदाता परिचय पत्र या पेन कार्ड की मूल प्रति के साथ उपस्थित होवें, अन्यथा की दशा में परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा।
7. कौशल परीक्षा/दक्षता परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र पर अंकित निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहना होगा, उन्हें किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगा।
8. आवेदक परीक्षा के लिये निर्धारित तिथि पर प्रवेश पत्र के प्रोफार्मा को स्वयं भरकर परीक्षा के लिये निर्धारित समय से एक घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे, विलंब से उपस्थित होने पर परीक्षा में शामिल नहीं किया जावेगा।
9. यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।
10. चयन प्रक्रिया के संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दक्षिण बस्तर दंतेवाडा का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।
11. कौशल परीक्षा से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 06 माह के पश्चात विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे। उक्त अवधि के पश्चात सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि / निरीक्षण के लिये आवेदन मान्य नहीं होगा।

महत्वपूर्ण टीपः-

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में शामिल किये जाने का यह अर्थ कदापि नही होगा कि आवेदक को अर्हमान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दावेदारी समाप्त मानी जावेगी। नियुक्ति के पश्चात कोई सारवान जानकारी छुपाये जाने की स्थिति में, कभी भी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

अध्यक्ष
चयन समिति,
कार्या०जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

कार्यालय सहायक/क्लर्क (संविदा) के पद पर नियुक्ति हेतु

प्रति,

कार्यालय प्रधान जिला न्यायाधीश/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)

Passport Size Photo With Signature

01. आवेदित पद का नाम :-----------------
02. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :-----------------
(अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में)
03. लिंग पुरूष संकेतक महिला संकेतक-2: :--------------------------------
04. पिता/पति का नाम :--------------------------------
05. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :--------------------------------
(हिन्दी में) :--------------------------------
(ब) स्थाई पता :--------------------------------
06. (अ) जन्मतिथि (अंको में) :--------------------------------
(शब्दों में) :--------------------------------
(ब) दिनांक 01/01/2025 को आयु-----वर्ष-----माह-----दिन-----
07. आवेदक का मोबाईल नंबर :--------------------------------
08. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है। हां नहीं :------------------------
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी का जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
09. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा :-------------------------------- छत्तीसगढ़ के लिये घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हां नहीं (यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिं सलंग्न करें।
10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें। :--------------------------------
11. क्या आप विवाहित है? हां नहीं :--------------------------------
12. यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि :--------------------------------
13. शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी योग्यता

क्र	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	शाला का नाम	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत / ग्रेड
1	2	3	4	5	6	7

14. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय :-------------------------------- संस्था में सेवारत है? हां नहीं (यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)
15. स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूचीः
टीपः- प्रमाण पत्र नीचे दिये गये अनुकम में संलग्न करे। प्रमाण पत्र का नाम संलग्न है/ संलग्न नहीं।
01. 10 वीं की अंकसूची प्रमाण पत्र...............................
02. 12 वीं की अंकसूची प्रमाण पत्र...............................
03. स्नातक की अंकसूची प्रमाण पत्र...............................
04. अनुभव/योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र ....
05. छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र...............................
06. छ.ग. का स्थायी जाति प्रमाण पत्र...............................
07. जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र ....
08. अन्यः...

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है, और यदि ये झूठ पाये जाते है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी।

दिनांकः-
स्थानः-

आवेदक का हस्ताक्षर---------------------------
नाम एवं पूरा पता------------------------------
मोबाईल नं.------------------ई-मेल----------

क्रमशः

(पिछले पृष्ठ का शेष) आवेदन पत्र का प्रारूप

कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट) (संविदा) के पद पर नियुक्ति हेतु

प्रति,

कार्यालय प्रधान जिला न्यायाधीश/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)

Passport Size Photo With Signature

01. आवेदित पद का नाम :-----------------
02. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :-----------------
(अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में)
03. लिंग पुरूष संकेतक महिला संकेतक-2: :--------------------------------
04. पिता/पति का नाम :--------------------------------
05. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :--------------------------------
(हिन्दी में) :--------------------------------
(ब) स्थाई पता :--------------------------------
06. (अ) जन्मतिथि (अंको में) :--------------------------------
(शब्दों में) :--------------------------------
(ब) दिनांक 01/01/2025 को आयु-----वर्ष-----माह-----दिन-----
07. आवेदक का मोबाईल नंबर :--------------------------------
08. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है। हां नहीं :------------------------
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी का जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
09. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा :-------------------------------- छत्तीसगढ़ के लिये घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हां नहीं (यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिं सलंग्न करें।
10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें। :--------------------------------
11. क्या आप विवाहित है? हां नहीं :--------------------------------
12. यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि :--------------------------------
13. शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी योग्यता :------------------------------

क्र	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	शाला का नाम	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत / ग्रेड
1	2	3	4	5	6	7

14. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय :-------------------------------- संस्था में सेवारत है? हां नहीं (यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)
15. अनुभव यदि कोई हो (प्रमाण पत्र संलग्न करें)------------------------------
16. क्या आप निर्धारित आयु सीमा में छूट चाहते है? -------------------------- हां/नहीं
15. स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूचीः
01. -------------------------
02.-------------------------
03.-------------------------
04.-------------------------
05.-------------------------

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है, और यदि ये झूठ पाये जाते है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी।

दिनांकः-
स्थानः-

आवेदक का हस्ताक्षर-----------------
नाम एवं पूरा पता---------------------
मोबाईल नं.--------------------------
ई-मेल------------------------------

संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा

द्वितीय तल, व्यावसायिक परिसर, सेक्टर-27, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

E-mail: sanskriti.rajbhasha@gmail.com, Website: www.cgculture.in
Phone No.: 0771-2995629, Tele. Fax.:0771-2537404

क्र. 6735/सं.रा./राज्यो./25 नया रायपुर, दिनांक 25/7/2025

22 जुलाई 2025

संस्कृति विभाग द्वारा दिये जाने वाले राज्य सम्मान 2025 हेतु प्रविष्टियाँ आमंत्रित

संस्कृति विभाग, छ.ग.शासन द्वारा स्थापित 11 राज्य स्तरीय सम्मानों एवं 01 राष्ट्रीय सम्मान कुल 12 सम्मान हेतु प्रविष्टियाँ पंजीकृत डाक से संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा, द्वितीय तल, व्यावसायिक परिसर, सेक्टर-27, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) 492002 में अंतिम तिथि 15 सितम्बर, 2025 तक निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित की जाती है। विस्तृत जानकारी के लिए सम्मान की नियमावली विभागीय वेबसाईट www.cgculture.in पर उपलब्ध है।

निर्धारित प्रारूप

आवेदक का नाम /पता व मोबाइल नं.	जन्म तिथि व आयु	प्रस्तावक का विवरण (यदि हो)	आवेदक की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा	प्राप्त सम्मान / पुरस्कार की संक्षिप्त जानकारी				शासकीय सेवारत होने पर सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति पत्र संलग्न करें (हाँ/नही)
				अंतर्राष्ट्रीय स्तर	राष्ट्रीय स्तर	प्रदेश स्तर	जिला स्तर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

सम्मान का विवरण निम्नानुसार है-

क्र	सम्मान का नाम	कार्य क्षेत्र
1	पं. सुन्दरलाल शर्मा सम्मान	हिन्दी साहित्य
2	दाऊ मंदराजी सम्मान	लोक नाट्य एवं लोक शिल्प
3	चक्रधर सम्मान	शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य
4	देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार	लोक नृत्य
5	लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार	आंचलिक साहित्य/लोक कविता
6	हबीब तनवीर सम्मान	समकालीन रंगकर्म (छत्तीसगढ़ी/हिन्दी/अन्य भाषा नाटक)
7	देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार	पंथी नृत्य
8	लक्ष्मण मस्तुरिया सम्मान	छत्तीसगढ़ी लोक गीत
9	खुमान साव सम्मान	छत्तीसगढ़ी लोक संगीत
10	किशोर साहू सम्मान	हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन, अभिनय, पटकथा निर्माण
11	छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान	देश के बाहर अप्रवासी भारतीय द्वारा सामाजिक कल्याण, मानव संसाधन विकास, कला, साहित्य अथवा आर्थिक
12	किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण	हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन

उपरोक्तानुसार क्षेत्र में उपलब्धि तथा दीर्घ साधना हेतु "छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस राज्योत्सव 2025" राज्य अलंकरण समारोह में चयनित पात्र को राज्य सम्मान से विभूषित किया जावेगा।

संचालक
संस्कृति एवं राजभाषा

आर.ओ 97/जी-252602437.5

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास शाखा)

जिला-कोण्डागांव (छत्तीसगढ़)

क्रमांक/1530'A'/आ.दि./एकलव्य / 2025-26 कोण्डागांव, दिनांक 23/07/2025

शिक्षण सत्र 2025-26 हेतु एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में विभिन्न पदों के लिए चल साक्षात्कार (वाक-इन-इन्टरव्यू) के निरस्तीकरण

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/आ०वि०/एकलव्य/1202/2025 कोण्डागांव, दिनांक 04.07.2025 के तहत्त शिक्षण सत्र 2025-26 के लिए जिला कोण्डागांव अंतर्गत संचालित एकलव्य आदर्श आवांसीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों के 40 पदों के लिए जिला स्तरीय समिति गठित किया जाकर दिनांक 09.07.2025 से 11.07.2025 तक चल साक्षात्कार (वाक -इन-इन्टरव्यू) का आयोजन किया गया था। जिसका वरियता सूची संस्था प्रमुखों द्वारा तैयार किया जाकर दिनांक 15.07.2025 को जारी किया गया है। किन्तु वरियता सूची में अनुभव के अंक दिये जाने में संस्था प्रमुखों के द्वारा विसंगतियां हुई।

अतः अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए चल साक्षात्कार (वाक-इन-इंटरव्यू) निरस्त किया जाता है।

कलेक्टर महोदया द्वारा अनुमोदित।

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोण्डागांव

संचालनालय सैनिक कल्याण, छत्तीसगढ़

रायपुर (छ.ग.)

क्रमांकः 112/संसैक/स्था/2025/1046 23 जुलाई 2025

छत्तीसगढ़ शासन, संचालनालय सैनिक कल्याण, विभाग में कल्याण संयोजक एवं भृत्य पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती

1. छत्तीसगढ़ शासन, संचालनालय सैनिक कल्याण, छत्तीसगढ़ (राज्य सैनिक बोर्ड, छत्तीसगढ़), रायपुर के अधीनस्थ जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के स्वीकृत निम्नलिखित पदों को छत्तीसगढ़ सैनिक कल्याण संचालनालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (अराजपत्रित), सेवा भर्ती नियम 2024 (छत्तीसगढ़ राजपत्र क्रमांक 196 दिनांक 10 मई 2024) के नियमानुसार राज्य के विभिन्न वर्ग के उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों से भरा जाना है। आवेदन पत्र का प्रारूप जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में उपलब्ध है। इच्छुक भूतपूर्व सैनिक अपने नजदीकी जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों से सम्पर्क कर आवेदन भर सकते है। जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में आवेदन दिनॉक 28 जुलाई 2025 से 27 अगस्त 2025 तक ही स्वीकार किया जावेगा:-

(क) कल्याण संयोजक	**-02 (लेबल 8 वेतनमान 35400-112400/-)**
(ख) भृत्य	**-01 (लेबल 1 वेतनमान 15600-49400/-)**

2. आवश्यक योग्यताएँ :-

(क) कल्याण संयोजक पद के लिये छत्तीसगढ़ के सैन्य सेवा के वर्ग, पूर्व सूबेदार/सूबेदार मेजर/आ.ले./आ. कैप्टन (नौ सेना एवं वायु सेना के समकक्ष रैंक) का होना आवश्यक है। आयु सीमा 55 वर्ष से अधिक न हो।

(ख) भृत्य के लिए सामान्य ड्यूटी वाले पूर्व सैनिक का ही आवेदन स्वीकार किया जावेगा। आयु सीमा 52 वर्ष से अधिक न हो।

(ग) उक्त पदो हेतु उम्मीद्वार का चिकित्सा श्रेणी SHAPE-1 में होना अनिवार्य है। युद्ध में हताहत (बेटल कैजुअलिटी) भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी, तथा उनको मेडिकल कैटगरी SHAPE-1 का होना आवश्यक नही होगा।

ब्रिगेडियर विवेक शर्मा,
व्ही.एस.एम (से.नि.)
संचालक
संचालनालय सैनिक कल्याण, छत्तीसगढ़
रायपुर (छ.ग.)

आर.ओ.98/जी-252602390/3

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771.2331385 फैक्स क्रमांक 0771.2445215, ई-मेल- cg.dpi.dir@gmail.com)

क्रमांक/ESTB-101(2)/52/2025/210 अटल नगर, दिनांक 28/07/2025

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निम्नलिखित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

स.क्र.	नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी	पदनाम	रिक्तियों की संख्या
1	संचालक, लोक शिक्षण	स्पेशल एजुकेटर (माध्यमिक)	20
2	संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक	स्पेशल एजुकेटर (उच्च प्राथमिक)	30
3	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी	स्पेशल एजुकेटर (प्राथमिक)	50
	योग		100

टीपः-

01. विज्ञापित पदों की आवश्यक अर्हतायें, आयु सीमा, निर्देश, चयन प्रक्रिया, पदों का आरक्षण, अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों की जानकारी एवं आवेदन की तिथि विभाग की वेबसाईट https://eduportal.cg.nic.in पर विस्तृत विज्ञापन में देखे जा सकते हैं जो विभाग की वेबसाईट पर पृथक से जारी की जायेगी।
02. रिक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
03. उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली चयन उपरांत नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 019668/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)

दूरभाष (का.) 0771-2439564, 0771-2331204 वेबसाईट: www.psc.cg.gov.in

क्रमांक/ 824/13/परीक्षा/2024 नवा रायपुर, दिनांक 18/07/2025

व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) प्रारंभिक परीक्षा-2024 की लिखित परीक्षा की समय-सारिणी

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के WP (S) no. 608/2025 Ms. Vinita Yadav Vs. State of Chhattisgarh &Ors Date 27/05/2025 के आलोक में एवं छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर के पत्र क्रमांक 2782/2025/21-ब/छ.ग./25 दिनांक 01/07/2025 के अनुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, विज्ञापन दिनांक 23/12/2024 को प्रभावी/लागू छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 2006 के अनुसार व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षा 2024 की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 04/2024/परीक्षा/दिनांक 23/12/2024 के तहत् व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) प्रारंभिक परीक्षा-2024 की लिखित परीक्षा दिनांक 21 सितंबर 2025 (रविवार) को जिला-बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई एवं रायपुर (छ.ग.) के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसकी समय-सारिणी निम्नानुसार हैः-

DATE	DAY	TIME
21.09.2025	SUNDAY	10:00 AM To 12:00 PM

उक्त परीक्षा हेतु आयोग द्वारा प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि के 10 दिवस पूर्व जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट www.psc.cg.gov.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को पृथक से प्रवेश पत्र व्यक्तिशः नहीं भेजा जाएगा।

परीक्षा नियंत्रक,
छ०ग० लोक सेवा आयोग,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)

कार्यालय प्राचार्य,

शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय बिलासपुर (छ. ग.)

Phone: 07752-260289, Email:- principalgecbilaspur@gmail.com Website:- www.gecbsp.ac.in

क्रमांक/स्था-2/2025/2165 बिलासपुर, दिनांक 29/07/2025

Walk in Interview for Part Time Lecturer

शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर में सत्र 2025-26 विषम सेमेस्टर के लिए सिविल, विद्युत.. ईटी एण्ड टी एवं माईनिंग इंजीनियरिंग विभाग के लिए अंशकालीन व्याख्याता (प्रति पिरियड रू. 800/-की दर से अधिकतम रू. 56100/- प्रतिमाह) की आवश्यकता है। इच्छुक उम्मीद्वार दिनांक **12.08.2025** को अपने मूल दस्तावेजों एवं एक सेट सत्यापित फोटो कापी सहित संबंधित विभागाध्यक्ष कार्यालय में प्रातः 11:00 बजे साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो सकते है। दस्तावेजो में पैन कार्ड व आधार कार्ड की फोटोप्रति भी संलग्न करें। इन पदों के लिए शैक्षणिक अर्हताएं ए.आई.सी.टी.ई. मापदण्डों के अनुसार होगी।

विज्ञापन महाविद्यालय की वेबसाइट www.gecbsp.ac.in पर देखी जा सकती है।

प्राचार्य,
शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय,
बिलासपुर (छ०ग०)

आर.ओ 99/जी-252602464.3

कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय

काठाडीह, रायपुर - 492013 (छत्तीसगढ़)

www.ktujm.ac.in E-mail: kulsachiv@ktujm.ac.in दूरभाष 0771-2969202

विज्ञापन क्रमांकः 950 रायपुर दिनांकः 30-07-2025

अतिथि व्याख्याता हेतु संक्षिप्त विज्ञापन

विश्वविद्यालय की विभिन्न अध्ययनशालाओं में रिक्त पदों के विरुद्ध अध्यापन व्यवस्था संचालन हेतु शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि व्याख्याता के 13 पदों हेतु योग्य एवं यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है। आवेदक अपने आवेदन के साथ शैक्षणिक अभिलेख एवं कार्य अनुभव के समस्त दस्तावेजों (अंकसूची, प्रमाण पत्र, उपाधि, अनुभव प्रमाण पत्र आदि) की छायाप्रति के साथ आवेदन दिनांक **14/08/2025 को सायं 05:30 बजे** तक स्वयं / रजिस्टर्ड डाक / वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अंतिम तिथि को समय सायं 5:30 के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर क्र. 77/स. / उशि/2024 दिनांक 12.07.2024 अतिथि व्याख्याता नीति-2024 के परिपालन एवं शैक्षणिक अर्हता, योग्यता, अनुभव एवं अन्य नियम शर्तों तथा अद्यतन आदेशों/निर्देशों के अधीन रहेंगी। विश्वविद्यालय के पास किसी पद को भरने अथवा न भरने अथवा पदों / नियुक्तियों की संख्या /प्रकृति में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। शैक्षणिक अर्हता, साक्षात्कार तिथि, पद संख्या एवं सामान्य अनुदेशों की अधिक एवं अद्यतन जानकारी के लिये विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.ktujm.ac.in का नियमित अवलोकन करें।

कुलसचिव

कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

ब्लाक-डी, भू-तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़

Phone No. 0771-2263708, Fax No.-2262558, www.tribal.cg.gov.in, Email-ctd.cg@nic.in.

क्रमांक/07/पीएमटी-पीईटी/2025-26/5426 नवा रायपुर दिनांक 21/7/2025

प्री०इंजीनियरिंग एवं प्री०मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने हेतु छ.ग. राज्य के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों से आवेदन पत्र वर्ष 2025-26 आमंत्रण हेतु सूचना

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा राज्य के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण, 100 विद्यार्थी 64 अनुसूचित जनजाति, 36 अनुसूचित जाति), जो ड्राप लेकर इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, ऐसे इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र का आमंत्रण किया जाता है।

(1) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथिः-11.08.2025 सायं 4:00 बजे तक

(2) आवदेन जमा करने का स्थानः-जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा कर सकते है। (कार्यालय-कलेक्टरेट परिसर)

आवेदन पत्र एवं विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in से अवलोकन एवं डाउनलोड किया जा सकता है। इस परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी यथा-पात्र अभ्यर्थी, परीक्षा केन्द्र, परीक्षा परिणाम आदि की सूचना विभागीय वेबसाईट से अभ्यर्थी प्राप्त कर सकते है।

प्री०इंजीनियरिंग एवं प्री०मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने हेतु सामान्य अनुदेश वर्ष 2025-26

(1) **कोचिंग की अवधिः**-विद्यार्थियों द्वारा चयनित कोचिंग संस्था में प्रवेश से लेकर प्री.इंजीनियरिंग एवं प्री. मेडिकल प्रवेश परीक्षा वर्ष 2026 होने तक।

(2) **कोचिंग का स्थानः**- चयनित कोचिंग संस्था से संबंधित जिले में कोचिंग कार्य सम्पन्न कराया जायेगा।

(3) **निर्धारित सीटेः**- योजनांतर्गत 100 सीट निर्धारित है, अनुसूचित जनजाति हेतु- 64 तथा अनुसूचित जाति हेतु-36

(4) **निवास तथा जाति संबंधी पात्रता :-**
1. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य हैं।
2. आवेदक अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग से हो तथा स्थाई जाति प्रमाण पत्र धारक हो।

(5) **शैक्षणिक योग्यताः**- गणित अथवा जीव विज्ञान विषय के साथ कक्षा 12वीं में कम से कम 70% अंक यां समतुल्य ग्रेड प्राप्त अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते है। अभ्यथियों का चयन प्राक्चयन परीक्षा में प्राप्त मेरिट अंक के आधार पर किया जायेगा।

(6) **आयः**- योजना नियम की कंडिका (8) आय-सीमा अंतर्गत योजना का लाभ ऐसे विद्यार्थी प्राप्त कर सकेगें जिनके पालक आयकर सीमा से नीचे हो अर्थात भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित आयकर सीमा रूपये 4.00 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, इस संबंध में लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, साथ ही स्वघोषणा प्रमाण पत्र 10 रू. के नॉन ज्युडिशियल स्टॉप पेपर पर प्रस्तुत किया जाना होगा।

(7) **कोचिंग शुल्क की प्रतिपूर्तिः**- योजनांतर्गत विद्यार्थी को कोचिंग, आवास, भोजन, चिकित्सा, पुस्तक, प्रवेश शुल्क आदि निःशुल्क प्रदान किया जावेगा।

(8) **प्राक्चयन परीक्षा का स्वरूपः**- प्राप्त आवेदन के परीक्षण उपरांत पात्र अभ्यर्थियों से प्राक्चयन परीक्षा में इंजीनियरिंग एवं मेडिकल परीक्षा के अनुरूप वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय (Objective type) प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न-पत्र अधिकतम 02 घंटे का होगा, जिसमें कुल 120 प्रश्न शामिल होगें।

(9) **आवेदन जमाः**- करना अभ्यर्थी किसी भी जिले के कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास में आवेदन जमा कर सकते है।

(10) प्री० मेडिकल एवं प्री० इंजीनियरिंग परीक्षा की तैयारी ऑफलाईन के माध्यम से चयनित संस्था द्वारा शासन के निर्देशानुसार ही किया जायेगा।

(11) **आवेदन पत्रों का भरा जानाः**- आवेदक का कर्तव्य होगा कि वह आवेदन पत्र में चाही गई समस्त जानकारी सही-सही देवें एवं संबंधित अभिलेख स्वयं के द्वारा सत्यापित कर आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करें। आवेदन पत्र की प्रविष्टि एवं अभिलेख अपूर्ण पाये जाने तथा सत्यापित नहीं होने की दशा में आवेदन निरस्त किया जायेगा।

(12) विस्तृत विवरण योजना के संबंध में नियम निर्देश विभागीय वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in पर उपलब्ध है, जिसे अवलोकन किया जा सकता है।

अपर संचालक
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर छ०ग०

वर्ष 2025-26 में अभ्यर्थियों द्वारा प्री०इंजीनियरिंग-प्री०मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास,
जिला...............(छ.ग.)

1. नाम :----------------------
2. पिता का नाम :----------------------
3. माता का नाम :----------------------
4. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :----------------------
5. ईमेल आईडी :----------------------
6. फोन/मोबाईल नंबर :----------------------
7. अभ्यर्थी का वर्ग (अनु.जा/अनु.ज.जा) :----------------------
   (सक्षम अधिकारी का स्थाई जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें)
8. अभ्यर्थी का 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष :----------------------
9. कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम (प्रतिशत में) :----------------------
   (बोर्ड परीक्षा की अंकसूची की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
10. किस परीक्षा का कोचिंग करना चाहते है प्री०इंजीनियरिंग / प्री० मेडिकल (टिक करें)
11. पालक का व्यवसाय-: (टिक करें) कृषि/ शासकीय सेवा/ प्राइवेट व्यवसाय / निजी संस्थान/ मजदूरी/अन्य
12. यदि शासकीय सेवा में है तो पद एवं विभाग का नामः--------------------------
13. पालक की समस्त स्त्रोंतो से कुल वार्षिक आय :------------------------------
    (रूपये 10/- के स्टाम्प पेपर पर घोषणा प्रमाण पत्र देवें।)

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूं कि उपरोक्त दी गई जानकारी सही हैं। यदि दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर मेरा कोचिंग हेतु प्रवेश निरस्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

पालक का हस्ताक्षर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर :------------------------
नाम :------------------------
दिनांक :------------------------

आय हेतु स्वघोषणा प्रमाण पत्र
(अभ्यर्थी द्वारा 10 रू. के नॉन ज्युडिशियल स्टॉप पेपर पर प्रस्तुत किया जाए)

मैं---------पिता----------उम्र-----------जाति-----------निवासी ग्राम------ पो०आ०----------तहसील-----------जिला-------------(छ०ग०)

शपथ पूर्वक स्वघोषणा करता/करती हूं कि मेरे परिवार की वार्षिक आय निम्नानुसार है :-

1. पिता शासकीय सेवक है तो वार्षिक आय ------------------
2. माता शासकीय सेवक है तो वार्षिक आय ------------------
3. पिता-माता कृषक है तो वार्षिक आय ------------------
4. अन्य स्त्रोंतो से वार्षिक आय ------------------
5. कुल आय (1 से 4 तक का योग) ------------------

मैं--------आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्री० इंजीनियरिंग एवं प्री० मेडिकल प्रवेश परीक्षा हेतु कोचिंग योजना वर्ष 2025-26 की तैयारी करने के लिए यह आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। इस हेतु मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की समस्त स्त्रोंतो से वार्षिक आय उपरोक्तानुसार है तथा मेरे द्वारा अर्जित आय आयकर की सीमा में नहीं आता है। यदि मेरी आय के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने एवं जांच पर सही पाये जाने पर शासन द्वारा नियमानुसार जो भी कार्यवाही की जावेगी, उसके लिए मैं स्वयं पूर्णतः सहमत हूँ।

पालक का हस्ताक्षर

आवेदक का हस्ताक्षर-------------
नाम------------
दिनांक----------

कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

ब्लाक-डी, भू-तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़

Phone No. 0771-2263708, Fax No.-2262558, www.tribal.cg.gov.in, Email-ctd.cg@nic.in.

क्रमांक/52-बी/सि.से.प्रो./2025-26/5497 नवा रायपुर दिनांक 22/7/2025

संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2025 में सफलता प्राप्त करने वाले प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने बाबत् आवेदन पत्र का आमंत्रण

विभाग द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हेतु प्रोत्साहन योजना (यथा संशोधित) वर्ष 2010 के अंतर्गत प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर राशि रूपये 1,00,000/- (अक्षरी एक लाख मात्र) प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है।

अतः पात्र अभ्यर्थियों से दिनांक 12.08.2025 तक आवेदन आमंत्रित हैं। पात्रता, शर्तें तथा आवेदन पत्र का प्रारूप विभाग की वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, ब्लाक-डी. भूतल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर छ०ग० में अंतिम तारीख तक जमा कर पावती प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र समय सीमा में रजिस्ट्रर्ड डाक से भी उल्लेखित पते पर भेजा जा सकता है।

(डॉ. सारांश मित्तर)
आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास,
नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़

संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2025 में सफल प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने बाबत् आवेदन पत्र

प्रति,

आयुक्त,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास,
ब्लाक-4, भू-तल, इन्द्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़।

नवीनतम फोटो चिपकाएं स्टेपल न करें

विषय :-संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2025 में सफल प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने बाबत् आवेदन पत्र।

1. अभ्यर्थी का नाम ------------------------------
2. जन्म तिथि (अ) अंकों में ------------------------------
   (ब) शब्दों में ------------------------------
3. आयु वर्ष-------माह------दिन--------
4. शैक्षणिक योग्यता ------------------------------
5. वर्तमान पता ------------------------------

   ----
6. स्थायी पता ------------------------------

   ----
7. अभ्यर्थी का वर्तमान व्यवसाय एवं अभ्यर्थी की कुल वार्षिक आय (आय प्रमाण पत्र संलग्न करें) ------------------------------
8. पिता/अभिभावक का नाम ------------------------------
9. माता का नाम ------------------------------
10. पिता का व्यवसाय ------------------------------
11. परिवार की कुल वार्षिक आय (शपथ पत्र के प्रारूप में) ------------------------------
12. परीक्षा का नाम एवं वर्ष (अभिलेख संलग्न करें) ------------------------------
    (1) उत्तीर्ण परीक्षा----------------
    (अ) प्रारंभिक परीक्षा रोल नं.-------
    (ब) मुख्य परीक्षा-रोल नं.---------
13. फोन नं./मोबाईल नं.- ------------------------------
14. ई-मेल ------------------------------
15. परीक्षा की तैयारी हेतु केन्द्र/राज्य शासन की किसी योजनान्तर्गत निःशुल्क रहवासी प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो उसका विवरण दें :-

क्रमांक	प्रशिक्षण योजना का नाम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण में उपलब्ध कराई गई सुविधा	किस केन्द्र पर प्रशिक्षण प्राप्त किया और किस वर्ष में
1	2	3	4	5
1				
2				
3				

16. जाति (✓) टिक करें — अनुसूचित जनजाति [ ] अनुसूचित जाति [ ]
    (आवेदक के छ.ग. में अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति वर्ग की सूची में जाति/उपसमूह का नाम) अनु. जाति/जनजाति सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थाई जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें ।
17. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है---------------
    (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें)
    हाँ [ ] नहीं [ ]
18. आवेदक का आधार कार्ड नंबर (छायाप्रति संलग्न करें)----------------------
19. प्रोत्साहन राशि जमा करने हेतु बैंक खाते का विवरण
    (i) बैंक एवं शाखा का नाम-------------------
    (ii) IFSC कोड---------------------
    (iii) बैंक खाता क्र.--------------------
    टीपः- बैंक पास बुक का प्रथम पृष्ठ जिसमें उपरोक्त जानकारी हो, छायाप्रति संलग्न करें।

घोषणा पत्र

मैं----- पिता/पालक-श्री/ श्रीमती-------निवासी-----उपरोक्तानुसार दी गई समस्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। मैंने पूर्व में इस योजना से लाभ प्राप्त नहीं किया है। यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरी संपूर्ण प्रोत्साहन राशि निरस्त कर यह राशि मुझसे भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी तथा मेरे विरूद्ध विधिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

क्रमशः

(पिछले पृष्ठ का शेष)

स्थान----------

दिनांक---------

हस्ताक्षर------------

नाम---------------

पता--------------

।। पात्रता की शर्ते एवं संलग्न किए जाने वाले अभिलेख।।

1. अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो। (निवासी प्रमाण-पत्र संलग्न करे)
2. अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजांति वर्ग का हो। इस हेतु सक्षम प्राधिकारी का स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें।
3. अभ्यर्थी एवं अभ्यर्थी के माता-पिता/पालक की समस्त स्त्रोतों से आय, आयकर की श्रेणी में नहीं आता है तथा आयकर दाता नहीं है, का 50 रू. के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। (आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करे)
4. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने का प्रमाण-पत्र या अधिकृत दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा ।
5. अभ्यर्थी केन्द्र / राज्य शासन की योजना अंतर्गत निःशुल्क रहवासी प्रशिक्षण न लिया हो।
6. पूर्व में अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफल होकर इस योजनांतर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त किया है, तो वह पात्र नहीं होगा।
7. आवेदन पत्र कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, ब्लॉक डी. भू-तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर छ०ग० में जमा किया जाना होगा।

शपथ पत्र का प्रारूप

(50रू. के नॉन ज्युडिशियल स्टॉप पेपर पर प्रस्तुत किया जाए)

(संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा वर्ष---- के प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन पुरूस्कार हेतु)

मैं--------पिता-----------उम्र-----------निवासी ग्राम-------वि.खं.---- जिला------------ यह शपथ पूर्वक कथन करते हुए घोषणा करता हूँ कि :-

1. मैने-----------वर्ष के संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त किया है। मेरा रोल नंबर-------- है तथा आयोग द्वारा जारी अर्हता पत्र संलग्न है।
2. यह कि मैं भारत शासन द्वारा छ०ग० राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य हूं एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र धारक हूँ।
3. यह कि मैं छ.ग. राज्य का मूल निवासी हूं।
4.

(i) यह कि मेरे पिता की (यदि शास० सेवक है तो) आय --------------------

(ii) माता की (यदि शासकीय सेवक है तो) आय -----------------------

(iii) पिता का, यदि अन्य व्यवसाय है, तो आय -----------------------

(iv) परिवार की कृषि से आय -----------------------

(v) आवेदक की आय -----------------------

कुल आय (i,ii, iii, iv एवं v का योग) -----------------------है।

5. यह कि मेरे परिवार की कुल वार्षिक आय -------------रू. है तथा मैं एवं मेरे माता पिता आयकर दाता नहीं हैं।
6. यह कि मेरे द्वारा पूर्व में इस योजनांतर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं किया गया है।
7. यह कि मेरे द्वारा केन्द्र / राज्य शासन की योजनांतर्गत निःशुल्क रहवासी प्रशिक्षण / कोचिंग नहीं लिया गया है।

शपथकर्ता

सत्यापन

मैं-------------------उपरोक्त कंडिका 1 से 7 की जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्यापित करता हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है, तो मेरे विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

स्थान :--------

दिनांक :-------

सत्यापनकर्ता

केन्द्रीय विद्यालय बेमेतरा

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायन निकाय

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर बावामोहतरा

तहसील व जिला-बेमेतरा (छ.ग.) 4013351 E-mail kvbemetara@ gmail.com

फ. 32331/प्रवेश/केवि/बेमेतरा/2025-26 दिनांक : 22.07.2025

सत्र 2025-26 के लिए नवीन प्रवेश सूचना

शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए केन्द्रीय विद्यालय बेमेतरा में कक्षा 1 से 5 तक में प्रवेश हेतु पंजीकरण दिनांक 25.07.2025 (शुक्रवार) से दिनांक 06.08.2025 (बुधवार) दोपहर 02:00 बजे तक किया जाएगा। इन कक्षाओं में प्रवेश हेतु पंजीकरण हेतु प्रपत्र (Registration form) विद्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है या नीचे दिये गए QR कोड को स्कैन करके डाउनलोड किया जा सकता है। उक्त वर्णित कक्षाओं में प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज नींचे दिये गए QR कोड को स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं।

विधिवत भरे हुए पंजीकरण प्रपत्र को सभी आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित प्रति के साथ पंजीकरण की अंतिम तिथि तक विद्यालय में जमा करना होगा। प्रवेश हेतु पंजीकरण हेतु प्रपत्र (Registration form) लेने व जमा कराने का समय प्रत्येक कार्य दिवस पर प्रातः 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक रहेगा। पंजीकरण की अंतिम तिथि के उपरांत किसी भी स्थिति में पंजीकरण प्रपत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे। इन कक्षाओं में प्रवेश हेतु अनंतिम सूची दिनांक 11.08.2025 (सोमवार) को जारी की जाएगी।

कक्षाओं में सीटों का आरक्षण के. वि. सं. वेबसाइट https://kvsangathan.nic.in/ पर उपलब्ध प्रवेश दिशानिर्देश 2025-26 के अनुसार किया जाएगा। विद्यालय में नवीन प्रवेश केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार व किसी कक्षा में उपलब्ध नवीनतम रिक्तियों के आधार पर किया जाता है। अतः केवल पंजीकरण मात्र से ही प्रवेश का अधिकार नहीं होगा। यदि अभिभावक द्वारा आवेदन पत्र में कोई गलत / भ्रामक जानकारी दी जाती है तो केवि में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

पंजीकरण हेतु प्रपत्र एवं प्रवेश से संबन्धित अन्य दस्तावेजों के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें

प्राचार्य

ग्रामोद्योग संचालनालय हाथकरघा

चतुर्थ तल, ब्लॉक-ए, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर

अटल नगर 492002 (छ.ग.)

फोन नं. 0771-2511766 एवं 0771-2511881 Email- handloomraipur@gmail.com

क्रमांक / हा. / SCDP/CDE / एफ-150/2025-26/971 नवा रायपुर, दिनांक 21.07.2025

हाथकरघा कलस्टर क्षेत्र में कलस्टर विकास कार्यकारी (C.D.E.) के चयन हेतु विज्ञापन

विकास आयुक्त हाथकरघा वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा संचालित राष्ट्रीय हाथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत लघु कलस्टर विकास कार्यक्रम अंतर्गत कलस्टर कुरूद (भखारा) जिला धमतरी एवं अम्बागढ़ चौकी जिला मोहला मानपुर अ. चौकी हेतु 01-01 कुल 02 कलस्टर विकास कार्यकारी (सी.डी.ई.) की नियुक्ति 03 वर्षों के लिए किया जाना है। कलस्टर विकास कार्यकारी पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता डिप्लोमा / डिग्री इन हैण्डलूम टेक्नोलॉजी अथवा टेक्सटाईल टेक्नोलॉजी उत्तीर्ण होनी चाहिए। हाथकरघा क्षेत्र में 02 वर्षों के कार्य अनुभवी को प्राथमिकता दी जावेगी। कलस्टर विकास कार्यकारी को कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी (एम.एस. आफिस / एक्सल पावर पाइंट) होनी आवश्यक है तथा उससे कलस्टर के समस्त क्रियाकलापों से संबंधित अभिलेखों के रख-रखाव एवं प्रबंधन की अपेक्षा होगी। कलस्टर विकास कार्यकारी के पद पर चयन उपरान्त प्रतिमाह 30,000/- निश्चित मानदेय पर नियुक्ति दी जावेगी।

उपरोक्त पद हेतु इच्छुक आवेदक विज्ञापन प्रकाशन तिथि के 10 दिवस के भीतर अपना आवेदन शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, आयु, निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति सहित निर्धारित आवेदन पत्र सील बंद लिफाफा में संचालक, ग्रामोद्योग संचालनालय हाथकरघा प्रभाग, ब्लॉक-1, चतुर्थ तल, इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ (पिन कोड 492002) को प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www.ruralindustries.cg.gov.in पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है।

(श्याम धावड़े) आई.ए.एस.

संचालक

ग्रामोद्योग हाथकरघा

छत्तीसगढ़ रायपुर

कार्यालय कलेक्टर जिला स्तरीय ई-गवर्नेस सोसायटी बीजापुर (छ०ग०)

क्रमांक/1137/कले./ ई-गवर्नेस / आधार/2025

बीजापुर, दिनांक----/07/2025

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स, स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर छ.ग. के पत्र क्र. /193/सीईओ / चिप्स/आधार/2025 दिनांक 07.05.2025 के परिपालन में जिले के शासकीय कार्यालयों में इन हाउस मॉडल के अनुसार आधार केन्द्र संचालन हेतु आधार संचालक/ऑपरेटर का चयन किया जाना है। कार्यालय का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र..	ब्लॉक	शासकीय कार्यालय का नाम	आधार सेवा केन्द्र की संख्या
1	2	3	4
1	बीजापुर	कलेक्टर कार्यालय बीजापुर	2
2	बीजापुर	जिला पंचायत बीजापुर	1
3	बीजापुर	जनपद पंचायत बीजापुर	1
4	बीजापुर	नगर पालिका बीजापुर	1
5	बीजापुर	एसडीएम कार्यालय बीजापुर	1
6	बीजापुर	तहसील कार्यालय बीजापुर	1
7	बीजापुर	तहसील कार्यालय गंगालूर	1
8	भैरमगढ़	एसडीएम कार्यालय भैरमगढ़	1
9	भैरमगढ़	तहसील कार्यालय भैरमगढ़	1
10	भैरमगढ़	तहसील कार्यालय कुटरू	1
11	भैरमगढ़	जनपद पंचायत भैरमगढ़	1
12	भैरमगढ़	नगर पंचायत भैरमगढ़	1
13	भोपालपटनम	एसडीएम कार्यालय भोपालपटनम	1
14	भोपालपटनम	तहसीलय कार्यालय भोपालपटनम	1
15	भोपालपटनम	जनपद पंचायत भोपालटनम	1
16	भोपालपटनम	नगर पंचायत भोपालपटनम	1
17	उसूर	एसडीएम कार्यालय उसूर	1
18	उसूर	तहसील कार्यालय उसूर	1
19	उसूर	जनपद पंचायत उसूर	1

आधार संचालक/ऑपरेटर के चयन हेतु पात्रता एवं चयन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. आवेदक कम से कम 12वीं या दो वर्ष ITI (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण हो, वर्तमान में किसी भी संस्था का नियमित विद्यार्थी ना हो। अभ्यर्थी को कम से कम 18 वर्ष आयु होना अनिवार्य है।
2. आवेदक को कम्प्यूटर संबंधी ज्ञान होना चाहिए।
3. आवेदक प्रतिभूति, बीमा, बैंक गारंटी या अन्य किसी भी तरीके से पर्याप्त सुरक्षा प्रस्तुत करने में सक्षम हो।
4. चयनित अभ्यर्थियों को लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर, बायोमैट्रिक डिवाइस, आइरिस इत्यादि उपकरण प्रदाय किया जाएगा जिसके लिए अभ्यर्थी को 1 लाख 50 हजार रूपये का डिमांड ड्राप्ट सुरक्षा निधि (Security Deposit) FDR के रूप में जिला ई-गवर्नेस सोसायटी को अनुबंध के समय जमा करना होगा।
5. कोई व्यक्ति आधार संचालक ऑपरेटर के रूप में चयन के लिए अर्ह नहीं होगा यदि वह अच्छे सदाचारिक चरित्र का न हो या किसी दण्डनीय अपराध के लिए सिद्ध दोष किया जा चुका हो।
6 आवेदक को NSEIT के द्वारा EA Superviser/Operator की परीक्षा जगदलपुर / रायपुर में स्वयं के व्यय से जा कर उत्तीर्ण करनी आवश्यक है, जिसके उपरांत UIDAI के द्वारा पंजीयन नंबर प्रदाय किया जाता है। आधार परीक्षा फार्म भरने के लिए समस्त दस्तावेजों एवं पासपोर्ट साइज फोटो के साथ इस कार्यालय (कार्यालय कलेक्टर, जिला बीजापुर जिला ई गवर्नेस सोसायटी, कक्ष क्र.04 सी.जी. स्वान कक्ष जिला बीजापुर, पिन 494444) में स्वयं उपस्थिति होकर विज्ञापन दिनांक के 15 दिवस के भीतर आवेदन करना होगा।
7. पूर्व/वर्तमान में कार्यरत आधार केन्द्र संचालक/ऑपरेटर की स्टेशन आई.डी. में कोई भी पेनाल्टी राशि भुगतान हेतु लंबित ना हो। कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1124/कले./ ई-गवर्नेस/ आधार/2025 दिनांक 05.06.2025 अनुसार पेनाल्टी राशि का भुगतान CEO CHIPS Raipur, SBI Bank, Account Number 44117532197, IFSC Code SBIN0004286 कर बैंक स्टेटमेंट, रसीद, पावती आदि आवेदन के साथ अनिवार्यतः इस कार्यालय में जमा किया जाना होगा।
8 समय-समय पर जिले में विभागीय शिविर / आधार पंजीयन शिविर आयोजित किये जाते हैं। आवश्यकतानुसार आधार संचालक / ऑपरेटर को उक्त शिविर में अपनी सेवाएं प्रदाय की जानी आवश्यक होगी।
9. निर्धारित शासकीय कार्यालय परिसर हेतु चयनित/कार्यरत आधार संचालक/ऑपरेटर को आवश्कतानुसार जिला ई-गवर्नेस सोसायटी, जिला बीजापुर परिवर्तन कर सकती है।

कलेक्टर
जिला-बीजापुर (छ.ग.)

-इन हाउस मॉडल अंतर्गत आधार केन्द्र संचालन हेतु आवेदन पत्र-

आवेदक का फोटो (4.5X3.5)

1. आवेदित कार्यालय का नाम :-----------------
2 नाम (हिन्दी में) :-----------------
(अंग्रेजी में) :-----------------
3. पिता का नाम :-----------------
4 जन्म तिथि :-----------------
5. स्थायी पता :-----------------
:-----------------
:-----------------
6. मोबाईल नंबर :-----------------
7. ईमेल आई डी. :-----------------
8. शैक्षणिक योग्यता :-----------------

क्र.	परीक्षा का नाम	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत
1				
2				
3				
4				

9 पेनाल्टी राशि लंबित है (हां/नहीं) :-----------------
10. यदि है तो जमा कर दिया गया है (हां / नहीं) :-----------------
जमा करने का दिनांक एवं UTR number:
11. आधार संचालन हेतु अनुभव की जानकारी (हां/नहीं):-----------------
अ. यूजर क्रेडेसियल------------------------------
ब. स्टेशन आई.डी.------------------------------------
स. NSEIT Certicate No.-------------------------------
द. कार्य स्थल---
12. दस्तावेज संलग्न करें -
1. हाई स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र (10 वी)
2. हा. से. परीक्षा प्रमाण पत्र (12 वी)
3. कम्प्यूटर संबंधी डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र
4. पेनाल्टी भुगतान की रसीद / पावती
6. NSEIT प्रमाण पत्र
7. निवास प्रमाण पत्र बीजापुर जिले का

घोषणा

मैं----------------------पिता का नाम---------------------- उम्र------------------------निवासी-----------------------यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास से पूर्णता सत्य है, मैं इसकी सत्यता का/की जिम्मेदार हूँ। उपरोक्त विवरण के संबंध में मूल दस्तावेज मंगाये जाने पर प्रस्तुत करूंगा / करूगी। यदि कोई जानकारी असत्य होगी तो वैद्यानिक कार्यवाही के लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगी/रहूंगी।

दिनांक-----------

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का पूरा नाम----------

आसूचना ब्यूरो, (गृह मंत्रालय) भारत सरकार

सहायक केंद्रीय खुफिया अधिकारी-ग्रेड-II/कार्यकारी परीक्षा-2025

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में गृह मंत्रालय की वेबसाईट (www.rojgarsamachar.gov.in) पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़े और ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले यह सुनिश्चत कर ले कि वे पात्रता मानदंड और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करते हैं?

भारत सरकार के गृह मंत्रालय में आईबी में सहायक केंद्रीय आसूचना अधिकारी, ग्रेड-II/कार्यकारी अर्थात ACIO-II/Exe के पद पर सीधी भर्ती के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले नीचे दिए गए विभिन्न अनुच्छेदों और उप-अनुच्छेदों के अंतर्गत सभी मानदंडों को ध्यान से पढ़ें और एसीआईओ-II/कार्यकारी के पद के लिए आयु सीमा, आवश्यक योग्यताओं आदि के संदर्भ में अपनी उपयुक्तता के बारे में स्वयं संतुष्ट हो लें। नीचे दिए गए पदों के पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार केवल गृह मंत्रालय की वेबसाइट (**www.mha.gov.in**) या एनसीएस पोर्टल (**www.ncs.gov.in**) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

1. पद का विवरण

नाम	**सहायक केंद्रीय आसूचना अधिकारी ग्रेड-II/कार्यकारी (एसीआईओ-II/कार्यकारी)**					
वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय)					
आरक्षण विभाजन के साथ रिक्तियां	**अना**	**ईडब्ल्यूएस**	**अपिव**	**अजा**	**अजजा**	**कुल**
	1,537	442	946	566	226	3,717
वेतनमान	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44,900-1,42,400) + स्वीकार्य केंद्र सरकार भत्ते। **नोटः** **i.** अन्य सरकारी भत्तों के अतिरिक्त मूल वेतन का 20% की दर से विशेष सुरक्षा भत्ता। **ii.** छुट्टियों पर किए गए कार्य के बदले नकद मुआवजा, अधिकतम 30 दिनों तक।					
आवश्यक योग्यताएं	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष।					
वांछनीय योग्यताएं	कंप्यूटर का ज्ञान।					
आयु सीमा	**10.08.2025 को 18-27 वर्ष।** ➢ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष की छूट है। ➢ विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 40 वर्ष तक की छूट है, जिन्होंने 3 वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा प्रदान की है। ➢ विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अपने पति से न्यायिक रूप से अलग हो चुकी और पुनर्विवाह न करने वाली महिलाओं के मामले में अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 35 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष तक की छूट है। ➢ केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सरकारी निर्देशों के अनुसार पूर्व सैनिकों के लिए आयु सीमा में छूट है। ➢ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14015/1/76-स्था.(डी), दिनांक 4.8.1980 के पैरा 1 (क) में निर्दिष्ट मेधावी खिलाड़ियों के लिए आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट है। इस श्रेणी में आयु में छूट का दावा करने वाले उम्मीदवार के पास संदर्भित कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी वांछित प्रमाण पत्र होना चाहिए (विस्तृत विज्ञापन के अंत में संलग्नक के अनुसार)।					

नोट-1: ACIO-II/Exe का पद एक परिचालन पद होने के कारण, किसी भी दिव्यांग श्रेणी के लिए आरक्षित नहीं है। इसलिए, उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

नोट-2: EWS, OBC, SC, ST, भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण नियम/रोस्टर के अनुसार है।

नोट-3: रिक्तियों की संख्या अनंतिम है और इसमें परिवर्तन हो सकता है।

नोट-4: आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति/श्रेणी आदि के संदर्भ में उम्मीदवारों की पात्रता अंतिम तिथि पर निर्धारित की जाएगी। उम्मीदवार के पास अंतिम तिथि अर्थात **10.08.2025 (2359 बजे तक)** तक पद के लिए आवश्यक योग्यता अर्थात स्नातक या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए और उसे इसमें सफल घोषित किया जाना चाहिए।

2. सेवा दायित्वः इस पद में अखिल भारतीय सेवा दायित्व शामिल है। इसलिए, भारत में कहीं भी सेवा करने के इच्छुक उम्मीदवारों को ही आवेदन करना होगा।

3. परीक्षा योजनाः

परीक्षा का विवरण		**समय**	**अंक**
लिखित परीक्षा	**टियर-I परीक्षाः** 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न, जिन्हें 5 समयांक भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें 1-1 अंक के 20 प्रश्न होंगेः **a)** समसामयिक मामले, **b)** सामान्य अध्ययन, **c)** संख्यात्मक अभिक्षमता, **d)** तर्क/तार्किक अभिक्षमता **e)** अंग्रेजी [प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ¼ अंक का ऋणात्मक अंकन।].	1 घंटा	100
	टियर-II: 50 अंकों का वर्णनात्मक प्रकार का प्रश्नपत्रः निबंध (20 अंक); अंग्रेजी बोधगम्यता (10 अंक) और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (समसामयिक मामले, अर्थशास्त्र, सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों आदि पर 10-10 अंकों के 2 प्रश्न (20 अंक).	1 घंटा	50
साक्षात्कार	टियर-III/साक्षात्कार	-	100

नोट-1: टियर-I परीक्षा में कट-ऑफ अंक (100 में से) **अनारक्षित-35, अन्य पिछड़ा वर्ग-34, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति-33** और **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-35 होंगे** (सभी भूतपूर्व सैनिकों को उनकी अपनी श्रेणी अर्थात अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति में माना जाएगा)।

नोट-2: टियर-I परीक्षा में उनके प्रदर्शन और अंकों के सामान्यीकरण के आधार पर, उम्मीदवारों को रिक्तियों की संख्या के 10 गुना अंकों के आधार पर टियर-II के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, बशर्ते कि उम्मीदवार ने टियर-I में न्यूनतम कट-ऑफ अंक प्राप्त किए हों।

नोट-3: टियर-I और टियर-II में उनके संयुक्त प्रदर्शन के आधार पर, उम्मीदवारों को टियर-III/साक्षात्कार के लिए रिक्तियों की संख्या के 5 गुना अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, बशर्ते कि उम्मीदवार टियर-II परीक्षा में न्यूनतम 33% अंक (50 में से 17) प्राप्त करें।

नोट-4: टियर-I, टियर-II और टियर-III/साक्षात्कार परीक्षा में संयुक्त प्रदर्शन के आधार पर, रिक्तियों की संख्या के अनुसार पद के लिए अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी। भविष्य में प्रतिस्थापन के लिए एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी, जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.06.2000 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 41019/18/97-स्था. (बी) के अनुसार लागू होगी।

4. परीक्षा शहरः उम्मीदवार विस्तृत विज्ञापन देख सकते हैं।

नोट-1: ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय, आवेदक को परीक्षा शहर के अपने चयन के बारे में सावधानीपूर्वक निर्णय लेना चाहिए।

नोट-2: उम्मीदवार को विस्तृत विज्ञापन में दी गई सूची में से परीक्षा शहर के रूप में पांच (5) विकल्प चुनने होंगे।

नोट-3: एक बार चुने गए परीक्षा शहर को किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला जाएगा।

नोट-4: किसी विशेष शहर में अधिक/कम आवेदन होने की स्थिति में, अभ्यर्थियों को किसी अन्य शहर में स्थानांतरित किया जा सकता है।

नोट-5: उम्मीदवारों को टियर-I परीक्षा के लिए उनके द्वारा चुने गए पांच परीक्षा शहरों में से किसी एक में समायोजित किया जा सकता है।

5. आवेदन कैसे करें:

क) आवेदन केवल **www.mha.gov.in** या **www.ncs.gov.in** वेबसाइट पर लॉग इन करके ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से जमा किए जाने चाहिए। किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ख) आवेदन पोर्टल 19.07.2025 से 10.08.2025 (2359 बजे तक) तक चालू रहेगा। 19.07.2025 से पहले और 10.08.2025 के बाद किया गया पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

6. परीक्षा शुल्कः शुल्क के दो घटक हैं: परीक्षा शुल्कः 100/- और भर्ती प्रक्रिया शुल्कः 550/- जिन्हें निम्नानुसार भुगतान करना होगाः

श्रेणी	**देय शुल्क**
सभी अभ्यर्थियों के लिए	भर्ती प्रसंस्करण शुल्क (550/-)
अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के पुरुष उम्मीदवार	भर्ती प्रक्रिया शुल्क (550) के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क (100) अर्थात 650/-

नोट-1: सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों, महिला उम्मीदवारों और आरक्षण के पात्र भूतपूर्व सैनिकों को परीक्षा शुल्क अर्थात 100/- के भुगतान से छूट दी गई है। हालांकि, उन्हें भर्ती प्रक्रिया शुल्क अर्थात 550/- का भुगतान करना होगा।

नोट-2: जिन भूतपूर्व सैनिकों ने आरक्षण का लाभ उठाकर केंद्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग' के पदों पर नियमित रूप से नौकरी प्राप्त कर ली है, उन्हें परीक्षा शुल्क अर्थात 100/- के साथ-साथ भर्ती प्रक्रिया शुल्क 550/- का भुगतान करना होगा।

नोट-3: यदि लागू हो, तो बैंकिंग शुल्क उम्मीदवार द्वारा वहन किया जाएगा।

7. भुगतान का तरीका (ऑनलाइन/ऑफलाइन): a) आवेदन पत्र भुगतान गेटवे के साथ एकीकृत है और भुगतान प्रक्रिया निर्देशों का पालन करके पूरी की जा सकती है।

b) डेबिट कार्ड (RuPay/Visa/MasterCard/Maestro), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, SBI चालान आदि के माध्यम से SBI EPAY LITE के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है।

c) अपना भुगतान ऑनलाइन जमा करने के बाद, कृपया सर्वर से सूचना मिलने तक प्रतीक्षा करें। दोहरे शुल्क से बचने के लिए बैक या रिफ्रेश बटन न दबाएं।

d) अपने डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कृपया लेन-देन पूरा होने के बाद ब्राउज़र विंडो बंद कर दें।

e) शुल्क भुगतान के बाद शुल्क विवरण वाले आवेदन पत्र को प्रिंट करने की सुविधा उपलब्ध है।

f) एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

g) ऑनलाइन भुगतान केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक ही किया जा सकता है।

h) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को उत्पन्न SBI चालान के माध्यम से भुगतान बैंक में 12.08.2025 तक (केवल बैंकिंग समय के दौरान) जमा किया जा सकता है।

8. सामान्य निर्देशः

पात्रता मानदंड, आरक्षण लाभ और छूट, उम्मीदवारों का चयन/परीक्षा योजना, टाई मामलों का समाधान, आवेदन कैसे करें, ऑनलाइन आवेदन जमा करना, भुगतान का तरीका और अन्य निर्देशों जैसी अन्य सभी जानकारी के लिए, उम्मीदवारों को गृह मंत्रालय की वेबसाइट (**www.mha.gov.in**) पर उपलब्ध हमारे विस्तृत विज्ञापन को देखने की सलाह दी जाती है।

यद्यपि भारत सरकार के निर्देशों को प्रचलन में शामिल करने के लिए हर संभव सावधानी बरती गई है, फिर भी आईबी को बाद में किसी भी चूक को सुधारने का अधिकार है।

9. अंतिम तिथिः 10.08.2025 (2359 बजे तक)।

(शेष पृष्ठ 17 पर)

कुमार साहब स्व. श्री दिलीप सिंह जुदेव जी

शासकीय सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, बिलासपुर

पताः- विवेकानंद आश्रम के सामने, कोनी, बिलासपुर, पिन-495009 टेलीफोनः 07752-299808 299809

ईमेलः- sshcimsbilaspur@gmail.com

क्रमांक/1764/ स्थापना/सु.स्पे.हॉ. बि/2025 बिलासपुर, दिनांकः 30/07/2025

अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र कमांक एफ-12-02/2022/55 नया रायपुर दिनांक 24.03.2022 एवं एफ 3-22/2022/55, दिनांक 20.06.2022 के द्वारा सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय बिलासपुर हेतु रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, रायपुर के अधिसूचना दिनांक 31.12.2012 संविदा नियुक्ति नियम '2012' तथा छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर, के पत्र क्रमांक एफ 3-53/2012/नौ/55 रायपुर दिनांक 19 अगस्त 2013 के अनुसार कुमार साहब स्व० श्री दिलीप सिंह जुदेव जी शासकीय सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय कोनी बिलासपुर में संविदा भर्ती हेतु योग्य उम्मीदवारों से दिनांक 18.08.2025 से 25.08.2025 तक कार्यालयीन समय 05:30 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार हैः-

क्रमांक	पदनाम	एकमुश्त संविदा वेतन	पद संख्या	संवर्ग	मुक्त	महिला	निःशक्तजन	योग	शैक्षणिक अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	स्टॉफ नर्स	26490/-	43	अना	-	19	-	19	(1) बी.एस.सी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक (बी. एस.सी नर्सिंग) प्रशिक्षण उत्तीर्ण। (2) केन्द्रीय / छ०ग० राज्य नर्सिंग कौंसिल में पंजीयन।
				अ.ज.जा	-	11	-	11	
				अ.जा.	-	07	-	07	
				अपिव	-	06	-	06	
02	ई.सी.जी टेक्नीशियन	26490/	03	अना	01	-	-	01	(1) जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र एवं रसायनशास्त्र में हायर सेकेण्डरी परीक्षा / (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण। (2) शासकीय संस्थान से ई.सीजी/आई.सी.सी.यू. टेक्नीशियन पाठ्क्रम प्रशिक्षित। (3) राज्य पैरामेडिकल कांउसिल से पंजीकृत।
				अ.ज.जा	01	-	-	01	
				अ.जा.	01	-	-	01	
				अपिव	-	-	-	-	
03	डायलिसिस टेक्नीश्यिन	26490/	05	अना	02	-	-	02	1. मान्यता प्राप्त संस्था से डायलिसिस टेक्नोलॉजी में बी.एस.सी या डायलिसिस टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा। 2. राज्य पैरामेडिकल कांउसिल से पंजीकृत।
				अ.ज.जा	01	-	-	01	
				अ.जा.	01	-	-	01	
				अपिव	01	-	-	01	
04	कैथलैब टेक्नीशियन	26490/	04	अना	02	-	-	02	1 जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र में हायर सेकेण्डरी परीक्षा / 10 + 2 परीक्षा उत्तीर्ण। 2. शासकीय संस्थान से कैथ लैब टेक्नीशियन अथवा ई.सी.जी. एवं आई. सी.सी.यू. एक वर्षिय टेक्नीशियन पाठ्यक्रम प्रशिक्षित। 3. राज्य पैरामेडिकल कांउसिल से पंजीकृत।
				अ.ज.जा	01	-	-	01	
				अ.जा.	01	-	-	01	
				अपिव	-	-	-	-	
योग			55		12	43	-	55	

नोटः विस्तृत विवरण हेतु https://www.cimsbilaspur.ac.in का अवलोकन करें।

चिकित्सा अधीक्षक
कुमार साहब स्व० श्री दिलीप सिंह जुदेव जी
शासकीय सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल,
बिलासपुर, (छ०ग०)

आर.ओ.100/जी-252602513.4

(पेज 16 पृष्ठ का शेष)

चेतावनी

यह देखा गया है कि कुछ बेईमान तत्व इंटेलिजेंस ब्यूरो में विभिन्न पदों के लिए धोखाधड़ी से आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं. ऐसे तत्व आईबी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान सहायता प्रदान करने का प्रलोभन भी दे रहे हैं और कुछ उम्मीदवारों को फर्जी नियुक्ति पत्र भी जारी कर रहे हैं. इसलिए, संभावित उम्मीदवारों/नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को ऐसे बेईमान तत्वों के झांसे में न आने की चेतावनी दी जाती है जो अपने निजी लाभ के लिए अनजान उम्मीदवारों/उम्मीदवारों को ठगने की कोशिश करते हैं.

सोशल मीडिया पर ऐसी कई खबरें आई हैं जिनमें कुछ अज्ञात व्यक्ति पूर्व आईबी अधिकारी होने का दावा करते हुए संभावित उम्मीदवारों को झूठा आश्वासन देते हैं कि वे आईबी के साथ अपने लंबे जुड़ाव के आधार पर उन्हें इस परीक्षा में सफल होने में मदद करेंगे. उम्मीदवारों को अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे इन लोगों के ऐसे झूठे, निराधार, भ्रामक और अतिरंजित दावों का शिकार न हों क्योंकि आईबी द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के प्रश्नपत्र की सामग्री के बारे में कोई भी जानकारी किसी के साथ साझा नहीं की जाती है.

सभी उम्मीदवारों को अपने व्यक्तिगत/पारिवारिक/रिश्तेदारों/मित्रों के सोशल मीडिया/मीडिया प्लेटफॉर्म पर भर्ती के अगले चरणों या अंतिम चयन में अपनी प्रगति के बारे में कोई भी जानकारी साझा करने से बचना चाहिए, उन्हें अपने परिवार के सदस्यों/रिश्तेदारों/मित्रों को भी सोशल मीडिया/मीडिया प्लेटफॉर्म पर भर्ती के अगले चरणों या अंतिम चयन में अपनी प्रगति के बारे में प्रचार करने से रोकना चाहिए.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल गृह मंत्रालय की वेबसाइट, यानी www. mha.gov.in, या एनसीएस पोर्टल, यानी www.ncs.gov.in के माध्यम से ही आवेदन करें.

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा, बिलासपुर छ०ग०

क्र/798/ समग्र शिक्षा / समा.शि./2025-26

बिलासपुर, दिनांक 31/07/2025

राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छ०ग०, रायपुर के पत्र क्र0/2050/ समग्र शिक्षा/पीएमश्री योजना/2025' रायपुर दिनॉक 30/06/2025 के निर्देशानुसार जिलें में संचालित 13 पीएमश्री विद्यालय में सत्र 2025-26 के लिए अंशकालीन योग / खेल शिक्षक / प्रशिक्षक की सेवाएं लिया जाना है, सेवाएं अधिकतम 31 मार्च 2026 तक के लिए होंगी, इस हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र दिनाँक 11.08.2025 तक जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षां, द्वितीय तल जिला पंचायत भवन, नेहरु चौक, बिलासपुर में प्रस्तुत कर सकतें है। एक आवेदक एक विद्यालय हेतु ही आवेदन कर सकता है, एक से अधिक विद्यालय हेतु आवदेन प्राप्त होने पर अंतिम प्राप्त आवेदन पर समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

जिले में सचालित पीएमश्री विद्यालय जिनमें योगा प्रशिक्षक / खेल शिक्षक/प्रशिक्षकों की स्वीकृत पदों की जानकारी :-

क्र.	विकासखण्ड	शाला का नाम	स्वीकृत पद
1	बिल्हा	पी०एम०श्री०शा०प्रा०शाला रामपुर	1
2	बिल्हा	पी०एम०श्री० शा०प्रा०शाला खम्तराई	1
3	बिल्हा	पी०एम०श्री० शा० प्रा०शाला केशला	1
4	बिल्हा	पी०एम०श्री० शा०प्रा०शाला अचानकपुर	1
5	कोटा	पी०एम०श्री० शा०प्रा०शाला पोडी	1
6	मस्तूरी	पी०एम०श्री० शा०प्रा०शाला केंवटपारा मल्हार	1
7	मस्तूरी	पी०एम०श्री० शा०प्रा०शाला कुकुर्दीकला	1
8	तखतपुर	पी०एम०श्री० शा०प्रा०शाला सम्लबपुरी	1
9	कोटा	पीएमश्री सेजस शा० उ०मा०वि० डी० के० पी० कोटा	1
10	तखतपुर	पीएमश्री सेजस शा०उ०मा०वि०तखतपुर	1
11	बिल्हा	पीएमश्री सेजेस शा०क० उ०मा०वि० सरकण्डा बिलासपुर	1
12	बिल्हा	पीएमश्री सेजेस शा० उ०मा०वि० चकरभाठा	1
13	मस्तूरी	पीएमश्री सेजेस शा०उ०मा०वि० मस्तूरी	1

योगा प्रशिक्षक / खेल शिक्षक / प्रशिक्षकों हेतु दिशा निर्देश -

01 अंशकालीन योगा प्रशिक्षक / खेल शिक्षक / प्रशिक्षकों हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक शारीरिक शिक्षा डिग्री या योग शिक्षा संबंधित क्षेत्र में स्नातक की डिग्री अनिवार्य है।

02 पीएमश्री विद्यालय में अनुभवी को प्राथमिकता दिया जायेगा।

03 कार्य पर रखे जाने की अवधि में वेतनमान छ.ग. शासन द्वारा स्वीकृत नियमित वेतनमान नहीं होगा, बल्कि भारत सरकार द्वारा अनुशंसित वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में स्वीकृति अनुसार सेवा प्रदत्त योग/ खेल शिक्षक/प्रशिक्षकों को एकमुश्त अधिकत्तम मानदेय प्रतिमाह रु0 10,000.00 (रु० दस हजार, मात्र) देय होगा।

04 कार्य पर रखे जाने की अधिकतम अवधि 31 मार्च 2026 तक के लिए होगी। तत्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग के आवश्यकता के आधार पर एवं चयंनित व्यक्तिं की उपयुक्तता का आंकलन कर आगे बढ़ाने का निर्णय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा बिलासपुर द्वारा लिया जा सकेगा, अन्यथा निश्चित अवधि की समाप्ति पर सेवा स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।

05 कार्य पर रखा जाना पूर्णत अस्थाई होगा। कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर चयनित व्यक्ति को बिना कारण बताये कभी भी उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है। सेवा समाप्ति के बाद कर्मचारी को किसी प्रकार के पेंशन, भत्ता या अन्य राशि प्रदान नहीं की जावेगी।

06 आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2025 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकमत 35 वर्ष होनी चाहिए अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियम लागू होंगे।

07 अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से रखे गये उम्मीद्वार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु नियोक्ता को आवेदन / न्यायालय में याचिका दायर नहीं करेगा।

08 रिक्तियों की संख्या परिवर्तनीय है।

09 चयन अंशकालीन योगा प्रशिक्षक / खेल शिक्षक / प्रशिक्षकों का चयन में कक्षा 10वीं एवं 12 वीं के प्राप्तांकों का 25-25 प्रतिशत वेटेज एवं शारीरिक शिक्षा या योगा शिक्षा में स्नातक डिग्री का 50% वेटेज के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जावेगा।

10 पीएमश्री विद्यालय में खेल शिक्षक / प्रशिक्षक पर कार्य अनुभव का 10 अंक बोनस दिया जावेगा।

11 चयनित व्यक्ति को कार्य पर रखे जाने संबंधी पत्र, प्राप्ति होने के पश्चात् निर्धारित अवधि में कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा, अन्यथा मेरिट सूची के अगले उम्मीद्वार को प्राथमिकता दी जावेगी और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी।

12 टी.ए/डी.ए. एवं अन्य भत्तें की पात्रता नहीं होगी।

13 एस.टी./एस.सी./ओ.बी.सी. महिला एवं अन्य हेतु आयु सीमा में छूट शासकीय नियमानुसार ही होगा।

14 शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से होने पर ही मान्य किया जावेगा।

15 आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावेगा। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची स्वप्रमाणित होनी चाहिए।

16 कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापिस लेने / चयन प्रक्रिया को रद्द करने/चयनित / कार्यरत व्यक्ति का कार्य संतोषप्रद न होने / किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में कार्य से पृथक करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में किसी भी प्रकार आवेदन/अपील मान्य नहीं होगा। विवाद की स्थिति में सम्पूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा।

17 अपूर्ण अस्पेष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी। ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे।

18 आवेदक को लिफाफे के उपर एवं आवेदन पत्र में पीएमश्री शाला का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के उपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता आवश्यक रूप से लिखा होना चाहिए।

19 आवेदन पत्र जिला मिशन समन्वयक, जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा जिला पंचायत परिसर बिलासपुर में सीधे स्वीकार नहीं किये जाएँगे आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट से ही स्वीकार होगी।

20 आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के लिए 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र/ अंकसूची देना अनिवार्य होगा।

*21 आवेदक का आवेदन पत्र दिनांक 11-08-2025 को शाम 05:00 बजे तक जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, जिला पंचायत परिसर बिलासपुर में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नही किया जाएगा।

जिला मिशन समन्वयक
समग्र शिक्षा, बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय, आयुक्त,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
:: संचालनालय ::
ब्लॉक-डी, भूतल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर (छ०ग०)

क्रमांक/आदि०यो०05/2025-26/5067 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11-7-2025

शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान वर्ष 2025
के लिए प्रविष्टियां आमंत्रण हेतु विज्ञप्ति

छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति को सम्मानित कर प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में प्रदेश स्तर का सम्मान स्थापित किया गया है। वर्ष 2025 हेतु प्रविष्टियां आमंत्रित है।

1. **सम्मान का स्वरूप:-**
उक्त सम्मान के अंतर्गत रूपये दो लाख नगद राशि एवं प्रतीक चिन्ह युक्त प्रशस्ति पटि्टका दी जाएगी, सम्मान की नगद राशि एक व्यक्ति को दी जा सकती है।

2. **आवेदन/प्रविष्टियां भेजने की समयावधि :-**

2.1 पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र/प्रविष्टियां, समाज सेवी व्यक्ति द्वारा बंद लिफाफे में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक द्वारा दिनांक 12.08.2025 सायं 05:00 बजे तक सचिव, छ०ग०राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, शहीद भगत सिंह चौक शंकर नगर रोड पुराना लोक सेवा आयोग परिसर ब्लाक-ए रायपुर छ.ग. में जमा की जायेगी। उक्त तिथि को निर्धारित समयावधि पश्चात् प्राप्त प्रविष्टि/आवेदन पर विचार किया जाना संभव नही होगा। डाक संबंधी विलंब के लिए यह कार्यालय उत्तरदायी नही होगा।

2.2 योजना नियमावली विभागीय वेबसाईट www.cgtribal.gov.in पर उपलब्ध है।

2.3 प्रविष्टियां/आवेदन पत्र के लिफाफे पर शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान वर्ष 2025 अंकित होना चाहिए।

3. **प्रविष्टियां/आवेदन के मापदण्ड**
सम्मान के लिए प्रविष्टियां/आवेदन निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत किए जा सकते है :-
1. व्यक्ति का पूर्ण परिचय।

2. आदिवासियों में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के लिए किये गये कार्यो का सप्रमाण विस्तृत जानकारी।
3. यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण।
4. सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य तथा इनके सैद्धांतिक पक्ष के विषय में प्रकाशित साहित्य की फोटो प्रति (सत्यापित)।
5. आदिवासियों में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उसके उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं/ग्रंथ के माध्यम से उपलब्ध साहित्य।
6. व्यक्ति के निरंतर एवं निर्विवाद होने के बारे में जिलाध्यक्ष का नवीनतम (ताजा) प्रमाण पत्र।
7. चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के बारे में व्यक्ति की सहमति।
8. जूरी अथवा उसके किसी सदस्य अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के कार्यों के प्रत्यक्ष आकलन के संबंध में सहमति।
9. चयन के लिये नियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होगी।
10. एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति का कार्य दोबारा पुरस्कार हेतु विचारणीय नही हैं।
11. प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार पर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा।
12. प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षो/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टिकर्ता का रहेगा। इस मामलें में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जायेगा।
13. व्यक्ति को आवेदन में इस आशय की अण्डरटेकिंग देना होगा कि ज्युरी अथवा उसके किसी भी सदस्य अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के कार्यों का प्रत्यक्ष आंकलन किया जा सकता है। इस हेतु वे (व्यक्ति) सहमत हैं। इसी प्रकार चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने की सहमति देनी होगी।

(डॉ. सारांश मित्तल)
आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर (छ०ग०)

कार्यालय प्राचार्य
शहीद राजीव पाण्डेय शासकीय महाविद्यालय
भाठागांव, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

Email: srpgovtcollcgcbhatagaon@gmail.com Website: srpgc.ac.in

क्रमांक- 239 /स्था/2025 भाठागांव, रायपुर दिनांक 28/07/2025

अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक हेतु संक्षिप्त विज्ञापन

शहीद राजीव पाण्डेय शासकीय महाविद्यालय, भाठागांव, रायपुर (छ. ग.) में रसायन शास्त्र एवं हिन्दी विषय में सहायक प्राध्यापक के रिक्त 01-01 पद के विरूद्ध अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ आवेदन अंतिम तिथि दिनांक 08-08-2025 को सायं 05:00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक/कूरियर के माध्यम से अथवा स्वयं/वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

नोट : विस्तृत विज्ञापन संस्था के नोटिस बोर्ड तथा महाविद्यालय के वेबसाईट https://srpgc.ac.in में अपलोड किया गया है, जिससे विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(डॉ. रेणु माहेश्वरी)
प्राचार्य
शहीद राजीव पाण्डेय शासकीय महाविद्यालय
भाठागांव, रायपुर (छ.ग.)

आर.ओ.101/जी-252602519.3

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला मोहला मानपुर-अं. चौकी (छ०ग०)

दूरभाष क्रमांक 07747-299067, Email ID-mbvv.mohla@gmail.com

क्रमांक //मबावि/CHL/2025-26 मोहला, दिनॉक 28/07/2025

//सूचना//

मिशन वात्सल्य के अंतर्गत चाईल्ड हेल्पलाईन के तहत राज्य स्तरीय / जिला स्तरीय पदों पर कर्मचारियों की संविदा भर्ती के संबंध में विज्ञापन के विरूद्ध स्वीकृत पदों में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों का पात्र/अपात्र सूची प्रकाशित करने के संबंध में।

संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-01, द्वितीय तल, नया रायपुर का पत्र क्रमांक /10487/1070/ मबावि/मि.वा/2024-25 अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27.11.2024 द्वारा संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर द्वारा मिशन वात्सल्य योजनांतर्गत चाईल्ड हेल्पलाईन के स्वीकृत संविदा रिक्त पदों के भर्ती किए जाने हेतु राज्य स्तर से दिनांक 27.11.2024 को विज्ञापन जारी कर जिला स्तर पद दिनांक 27.12.2024 तक आवेदन आमंत्रित किया गया था। प्राप्त आवेदन पत्रों की पात्र/अपात्र सूची तैयार की गई है। पात्र/अपात्र सूची की विस्तृत जानकारी जिले की वेबसाईट www.mohla-manpur-ambagarhchowki.cg.gov.in व कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला मोहला मानपुर-अं.चौकी के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।

अतः ऐसे अभ्यर्थी जिनको कोई दावा/आपत्ति होवे इस संबंध में दावा-आपत्ति दिनांक 11.08.2025 सायं 05:00 बजे तक कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी में डाक, ई-मेल, के माध्यम एवं स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है आवेदनकर्ताओं द्वारा प्राप्त दावा ही विचारणीय होंगे, प्रत्येक पद हेतु पृथक पृथक दावा आपत्ति मान्य होंगे एक से अधिक पदों हेतु एक ही दावा आपत्ति प्राप्त होने पर निरस्त किया जावेगा, निर्धारित तिथि पश्चात प्रस्तुत दावा-आपत्तियों पर चयन समिति के द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

संलग्न सहपत्र विज्ञापन से संबंधित विस्तृत विवरण।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी (छ.ग.)

आर.ओ.102/जी-252602490.3

कार्यालय प्रबंध संचालक, जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन मर्या, रायगढ़

वनमंडल, रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

पिनकोड-496001 E-mail:duraigarh2025@gmail.com

क्र./जि.यू.रा./2025/1516 — रायगढ़/दिनांक 15/07/2025

जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, रायगढ़ वनमण्डल रायगढ़ के अंतर्गत आने वाली प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति बरमकेला, झाल एवं जामगांव में प्रबंधक पद के रिक्त पद के भर्ती करने के लिये योग्य उम्मीदवारों से दिनांक 15.07.2025 से 14.08.2025 समय 5.00 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रबंध संचालक, जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित रायगढ़ वनमण्डल रायगढ़ के नाम से संबोधित हो सीधे जिला यूनियन कार्यालय रायगढ़ में रजिस्टर एडी. स्पीड पोस्ट से भेजा जावें अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन मान्य नहीं होगा।

क्र.	प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति का नाम	पदनाम	कुल रिक्त पद	आरक्षित वर्ग	प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के कार्य क्षेत्र में आने वाले तेन्दूपत्ता फड़ गांव का नाम जहां के निवासी से आवेदन प्राप्त होना है	कार्यालय जहां आवेदन पत्र प्रेषित किया जाना है
1	बरमकेला	प्रबंधक	01	अनारक्षित	बरमकेला, रोहिनापाली, लिझिर बारदावन, टिट्हीपाली, कपरतुंगा	प्रबंध संचालक, जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित रायगढ़ वनमण्डल रायगढ़ (छ.ग.)
2	झाल	प्रबंधक	01	अनारक्षित	झाल, खम्हरिया, कालाखुंटा, लिमपाली, सराईपाली, बनवासपाली, पतेरापाली, आमापाली , जामदलखा, जिरापाली, सेमरापाली	
3	जामगांव	प्रबंधक	01	अनारक्षित	जामगांव, मनुआपाली, सिकोसीमाल, बहरापाली, सराईपाली, छुईपाली, अण्डबहाल, सपनई	

1. आवेदन कार्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 14.08.2025 शाम 5:00 बजे के बाद प्राप्त आवेदन मान्य नहीं होगा।
2. पोस्ट/डाक कार्यालय द्वारा आवेदन विलंब से प्रेषित करने की स्थिति में इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
3. आवेदन पत्र का प्रारूप एवं नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यताएँ आयु सीमा, अन्य आर्हताएँ, चयन प्रक्रिया तथा वेतन भत्ते संबंधित जानकारी जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित रायगढ़ वनमंडल रायगढ़ के नोटिस बोर्ड संबंधित प्राथमिक वनोपज सह. समिति बरमकेला, झाल एवं जामगांव कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर के वेबसाईट WWW.cgmfpfed.org एवं कलेक्टर जिला रायगढ़ के वेबसाईट jansampark.cg.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्यादित में प्रबंधक पत्र नियुक्ति तथा निर्धारित आर्हता एवं चयन प्रक्रिया

(A) नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यताये :-

1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण होगी ।
2. अभ्यर्थी का संस्था क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य होगा ।
3. यह आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी संस्था क्षेत्र के ऐसे संग्राहक परिवार से हो, जिसने नियुक्ति के पूर्व के 05 वर्ष 2021 से 2025 तक में से कम से कम 03 वर्षों में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 500-500 गड्डी तेन्दूपत्ता संग्रहण का कार्य किया हो एवं तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्ड में अभ्यर्थी का नाम अंकित हो ।
4. अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर ज्ञान होना आवश्यक होगा है।

(B) आयु सीमा :-

चयन में स्पर्धा करने हेतु पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित आयु पूरी करनी होगी अर्थात् :-

1. 01 जनवरी 2025 को आवेदक ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और 35 वर्ष की आयु पूरी न की हो ।
2. यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति या अन्य पिछड़े वर्गों (गैर कीमीलेयर) का हो तो उच्तर आयु सीमा अधिकतम 05 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।
3. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम 1997 के प्रवधानों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।
4. छत्तीसगढ़ राज्य के भूतपूर्व सैनिक, अ.ज.जा./अ.जा. तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तजार्तीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कार प्राप्त एवं स्वयंसेवी नगर सैनिको को छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार आयु में शिथिलता प्रदान की जावेगी ।
5. उपरोक्त उल्लेखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन आयु में छूट दिये जाने के उपरांत भी संघ के सेवा हेतु पात्र होने के लिये अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नही होगी ।

(C) अन्य अर्हतायें :-

1. मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ हो ।
2. अन्य किसी भी सेवा नियोजन का गबनशुदा न हो, आर्थिक अथवा अन्य किसी अपराध के लिये कार्यवाही जारी/पंजीकृत न हो, किसी न्यायालय से सजायाफ्ता न हो।
3. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी संचालक का परिभाषित संबंधी न हो, और न ही किसी सहकारी समिति का डिफाल्टर हो ।

(D) चयन प्रक्रिया :-

प्रबंधक पद चयन किये जाने हेतु 125 अंक निर्धारित किये जाते है, जो अभ्यर्थी की योग्यता के आधार पर निम्नानुसार प्रदान किये जायेंगे :-

(1) 10+2 हायर सेकेण्डरी परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत के बराबर अंक प्रदान किये जायेंगे (अधिकतम 100 अंक)। उदाहरणार्थ यदि किसी आवेदक को हायर सेकेण्डरी परीक्षा में 75.05 प्रतिशत अंक प्राप्त हुये है तो उसे 75.05 अंक दिये जायेंगे)

(2) स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंको के अनुपात में 1/5 अंक दिये जायेंगे (अधिकतम 20 अंक) (उदाहरणार्थ 70 प्रतिशत प्राप्तांक को 14 अंक दिये जायेंगे)

(3) छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में प्राप्त सर्टिफिकेट /डिप्लोमा/डिग्री हेतु अधिकतम 5 अंक दिये जायेंगे। सर्टिफिकेट डिप्लोमा हेतु 3 अंक एवं उच्तर डिग्री हेतु 5 अंक दिये जायेंगे ।

(E) नियुक्ति हेतु प्रक्रिया :-

1. चयनित अभ्यर्थी को अपना मूल दस्तावेजों को चयन समिति के पास प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
2. कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व प्रबंधक पद के लिये चयनित अभ्यर्थी का पुलिस विभाग से सत्यापन अनिवार्य होगा ।
3. चयनित अभ्यर्थी को चिकित्सा जांच (शासकीय चिकित्सालय) के मापदंडो में स्वस्थ पाया जाना अनिवार्य होगा इस हेतु अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
4. नियुक्ति के पूर्व अभ्यर्थी को प्रत्याभूति के रूप में रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार रूपये मात्र) नगद अथवा सावधि जमा अथवा सालवेन्सी के रूप में संस्था में जमा करना होगा ।
5. चयनित अभ्यर्थी एक वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर कार्यरत रहेगा। तत्पश्चात उसे नियमित किया जावेगा ।

(F) वेतन :-

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधको को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित रायपुर द्वारा निर्धारित वेतन देय होगा ।

(G) यात्रा भत्ता :-

प्रबंधको को संघ द्वारा स्वीकृत दरों पर यात्रा भत्ता देय होगा ।

प्रबंध संचालक
जिला लघु वनोपज सह. यूनि.मर्या.
रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

क्रमश:

(पिछले पृष्ठ का शेष)

आवेदन-पत्र का प्रारूप

प्रति,

आवेदक अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा करें एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा फोटो सत्यापित करावें

प्रबंध संचालक
जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन मर्या.
रायगढ़ वनमण्डल रायगढ़ (छ.ग.)

आवेदित पद का नामः- प्रबंधक, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्या., बरमकेला, झाल अथवा जामगांव

1 आवेदक का पूरा नाम
2 पिता/पति का नाम
3 जाति (अना./अपिव/अजा./अजजा)
लिंगः महिला पुरूष
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
4 जन्म तिथि
5 दिनांक 01/01/2025 को आयु दिन------माह------वर्ष------
6 आवेदक का स्थायी पता --------------------------

(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
7 डाक व्यवहार का वर्तमान पता --------------------------

----
8 (A) विगत पांच वर्षों में परिवार द्वारा तेन्दूपत्ता संग्रहित तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें
वर्ष 2021 कार्ड क्र.-----संग्रहित मात्रा----
वर्ष 2022 कार्ड क्र.-----संग्रहित मात्रा----
वर्ष 2023 कार्ड क्र.-----संग्रहित मात्रा----
वर्ष 2024 कार्ड क्र.-----संग्रहित मात्रा----
वर्ष 2025 कार्ड क्र.-----संग्रहित मात्रा----
(B) तेन्दूपत्ता सदस्यता क्र.एवं वर्ष ---------------------------------
(सदस्यता रजिस्टर की छायाप्रति संबंधित समिति प्रबंधक से प्राप्त कर संलग्न करें)
9 रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित पंजीयन क्रमांक/दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें) ---------------------------------
10 शैक्षणिक योग्यता :-

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि/वि. का नाम	वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत
1	हाई स्कूल					
2	हायर सेकण्डरी स्कूल					
3	स्नातक					
4	कम्प्यूटर (सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री)					

(प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की छायाप्रति राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करें)
11 क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है?
हां नही (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)
12 अनुभव :- यदि आप शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम/मण्डल में कार्यरत हैं तो निम्नलिखित प्रारूप को भरें

क्र.	संस्था का नाम	धारित पद का नाम	धारित पद का वेतन	कार्यावधि (कब से कब तक)

टीप : यदि वर्तमान में कालम नं 12 में दर्शित पद पर कार्यरत है तो नियुक्तिकर्ता अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

संलग्न किये गये शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता प्रमाण पत्रों की सूची-
1--------------------2-------------------------
3--------------------4-------------------------
5--------------------6-------------------------
7--------------------8-------------------------
(कुल संलग्न सहपत्रों की संख्या-----------)

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

// घोषणा पत्र //

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है। यदि दी गई उपरोक्त जानकारी का कोई भी अंश असत्य पाया जाता है तो नियुक्ति के समय अथवा पश्चात् किसी भी समय विभाग द्वारा मेरी सेवा समाप्त किये जाने अथवा किसी भी दण्ड के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा रहूँगी ।

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान

(एमगिरी) वर्धा - 442001

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन)

फोन: 07152 253512

महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान, वर्धा, महाराष्ट्र में स्थित है; में तीन ग्रुप 'ए' पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए उपयुक्त अधिकारियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किया जाता है.

पद का नाम/वेतन	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव
प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रामीण शिल्प एवं अभियांत्रिकी, (01 पद) पे बैंड-3: रु. 15,600-39,100/- पे लेवल-12	मशीन डिजाइन/उत्पाद डिजाइन में बी.टेक. के साथ एम.टेक./एम.ई./ एम.डेस. या समकक्ष योग्यता.	केंद्र सरकार या राज्य सरकार या वैधानिक निकाय या निगम या स्वायत्त संगठन का अधिकारी- (i) नियमित आधार के समकक्ष पद धारक या (ii) लेवल-11 में पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ।
वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, प्रबंधन एवं व्यवस्थापन, (01 पद) पे बैंड-3: रु. 15,600-39,100/- पे लेवल-11	कंप्यूटर साइंस / कंप्यूटर एप्लीकेशन/ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग/डेटा साइंस / इंटरनेट ऑफ थिंग्स/एमबीए में मास्टर डिग्री या प्रबंधन के सभी विषयों में मास्टर या समकक्ष योग्यता.	केंद्र सरकार या राज्य सरकार या वैधानिक निकाय या निगम या स्वायत्त संगठन का अधिकारीः (1) नियमित आधार के समकक्ष पद धारक या (ii) लेवल 10 में पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा या लेवल-08 में पद पर आठ वर्ष की नियमित सेवा
वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, खादी एवं वस्त्र, (01 पद) पे बैंड-3: रु. 15,600-39,100/-पे लेवल-11	वस्त्र प्रौद्योगिकी/वस्त्र अभियांत्रिकी/वस्त्र मैन्युफैक्चरिंग (निर्माण)/ कपड़ा (फैब्रिक) या परिधान डिजाइनिंग/परिधान मैन्युफैक्चरिंग/वस्त्र रसायन विज्ञान या प्रसंस्करण में मास्टर डिग्री या केमिकल अभियांत्रिकी में मास्टर या समकक्ष योग्यता.	

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25.08.2025 है और पूर्वोत्तर, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, लाहौल और स्पीति जिलों और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवारों के लिए 01.09.2025 तक आवेदन जमा करना होगा. उपरोक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र और अन्य विवरण कार्यालय की वेबसाइट यानी www. mgiri.org से डाउनलोड किए जा सकते हैं.

नोटः उपरोक्त विज्ञापन में यदि कोई शुद्धिपत्र जारी किया जाता है तो उसे केवल एमगिरी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा.

प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी, एमगिरी

कार्यालय, आयुक्त,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
:: संचालनालय ::

ब्लॉक-डी, भूतल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर (छ०ग०)

क्रमांक/आदि०यो०/04/2025-26/5089 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11-7-2025

डॉ० भंवर सिंह पोर्ते, आदिवासी सेवा सम्मान वर्ष 2025 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति

छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासियों की सेवा एवं उनके आर्थिक उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली किसी एक स्वैच्छिक संस्था को सम्मानित कर प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा डॉ० भंवर सिंह पोर्ते, की स्मृति में प्रदेश स्तर का सम्मान स्थापित किया गया है। इस हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं से वर्ष 2025 हेतु प्रविष्टियां आमंत्रित है।

2. **सम्मान का स्वरूप :-**
   उक्त सम्मान के अंतर्गत रूपये दो लाख नगद राशि एवं प्रतीक चिन्ह युक्त प्रशस्ति पटिट्का दी जाएगी।

3. **आवेदन/प्रविष्टियां भेजने की समयावधि :-**

3.1 पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र/प्रविष्टियां, समाज सेवी संस्था द्वारा बंद लिफाफे में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक द्वारा दिनांक 12.08.2025 सांय. 5:00 बजे तक कार्यालय, सचिव, छ०ग०राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, शहीद भगत सिंह चौक शंकर नगर रोड पुराना लोक सेवा आयोग परिसर ब्लाक-ए रायपुर छ.ग. में प्रस्तुत किया जा सकता है। उक्त निर्धारित तिथि एवं समयावधि पश्चात, प्राप्त प्रविष्टि/आवेदन पर विचार किया जाना संभव नही होगा। डाक संबंधी विलंब के लिए यह कार्यालय उत्तरदायी नही होगा।

3.2 योजना नियमावली विभागीय वेबसाईट www.cgtribal.gov.in पर उपलब्ध है।

3.3 प्रविष्टियां/आवेदन पत्र के लिफाफे पर डॉ० भंवर सिंह पोर्ते, आदिवासी सेवा सम्मान वर्ष 2025 अंकित होना चाहिए।

प्रविष्टियां/आवेदन के मापदण्ड

4. सम्मान के लिए प्रविष्टियां / आवेदन निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत किए जा सकते है :-
   1. संस्था का पूर्ण परिचय

2 आदिवासियों की सेवा करने तथा उनके उत्थान के लिए संस्था द्वारा किये गये कार्यों की सप्रमाण विस्तृत जानकारी ।

3. यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण ।

4. सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य तथा इनके सैद्धांतिक पक्ष के विषय में प्रकाशित साहित्य की फोटो प्रति (सत्यापित)

5. आदिवासियों की सेवा करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उसके उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं / ग्रंथ के माध्यम से उपलब्ध साहित्य ।

6. संस्था के निरंतर एवं निर्विवाद होने के बारे में जिलाध्यक्ष का नवीनतम (ताजा) प्रमाण पत्र।

7 . चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के बारे में संस्था की सहमति ।

8. जूरी अथवा उसके किसी सदस्य अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संस्था के कार्यों के प्रत्यक्ष आंकलन के संबंध में सहमति ।

9. चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्ते लागू नही होगी।

10. एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित संस्था का कार्य दोबारा पुरस्कार हेतु विचारणीय नहीं हैं।

11. प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों / जानकारी के अलावा अन्य पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार पर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

12. प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों / निष्कर्षों / प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टिकर्ता का रहेगा। इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जायेगा ।

13. संस्था को आवेदन में इस आशय की अण्डरटेकिंग देना होगा कि ज्यूरी अथवा उसके किसी भी सदस्य अथवा प्राधिकृत संस्था द्वारा संस्था के कार्य का प्रत्यक्ष आंकलन किया जा सकता है। तथा इस हेतु वे (संस्था) सहमत हैं। इसी प्रकार चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने की सहमति देनी होगी।

(डॉ. सारांश मित्तल)
आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर (छ०ग०)

कार्यालय, आयुक्त,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
:: संचालनालय ::

ब्लॉक-डी, भूतल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर (छ०ग०)

क्रमांक/आदि०यो०/03/2025-26/5092 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11-7-2025

गुरु घासीदास सामाजिक चेतना एवं अनुसूचित जाति उत्थान सम्मान वर्ष 2025 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन

छत्तीसगढ़ राज्य में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा अनुसूचित जाति के उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति या एक स्वैच्छिक संस्था को सम्मानित कर प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गुरु घासीदास की स्मृति में प्रदेश स्तर का सम्मान प्रदान किया जाता है। वर्ष 2025 हेतु प्रविष्टियां आमंत्रित है।

1/ **सम्मान का स्वरूप :-**
उक्त सम्मान के अंतर्गत रूपये दो लाख नगद राशि एवं प्रतीक चिन्ह युक्त प्रशस्ति पटिट्का दिये जाने का प्रावधान है। सम्मान की नगद राशि एक व्यक्ति / संस्था को दी जा सकती है।

2/ **आवेदन/प्रविष्टयां भेजने की समयावधि तथा स्थल :-**

2.1 पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र/प्रविष्टियां समाज सेवी व्यक्ति / संस्था द्वारा बंद लिफाफे में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक द्वारा दिनांक 12.08.2025 सायं 05:00 बजे तक कार्यालय सचिव, छ.ग. अनुसूचित जाति आयोग शहीद भगत सिंह चौक शंकर नगर रोड पुराना लोक सेवा आयोग परिसर रायपुर छ.ग. में प्रस्तुत किया किया जायेगा। उक्त तिथि को निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त प्रविष्टि /आवेदन पर विचार किया जाना संभव नही होगा। डाक संबंधी विलंब के लिए यह कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

2.2 नियम की प्रति विभागीय वेबसाईट www.cgtribal.gov.in पर उपलब्ध है।

2.3 प्रविष्टियां / आवेदन पत्र के लिफाफे पर गुरु घासीदास स्मृति सम्मान वर्ष 2025 अंकित होना चाहिए।

3/ **प्रविष्टियां/आवेदन एवं चयन की प्रक्रिया के मापदण्ड:-**
सम्मान के लिए प्रविष्टियां / आवेदन निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत किए जा सकते है :-
1. व्यक्ति / संस्था का पूर्ण परिचय।

2. अनुसूचित जाति के लोगों में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के लिए किये गये कार्यों को सप्रमाण विस्तृत जानकारी।

3. यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण।

4. सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य तथा इनके सैद्धांतिक पक्ष के विषय में प्रकाशित साहित्य की फोटो प्रति (सत्यापित)।

5. अनुसूचित जाति के लोगों में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उसके उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं / ग्रंथ के माध्यम से उपलब्ध साहित्य।

6. व्यक्ति/संस्था के निरंतर एवं निर्विवाद होने के बारे में जिलाध्यक्ष का नवीनतम (ताजा) प्रमाण पत्र।

7. चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के बारे में व्यक्ति / संस्था की सहमति।

8. ज्यूरी अथवा उसके किसी सदस्य अथवा प्राधिकृत व्यक्ति / संस्था द्वारा व्यक्ति / संस्था के कार्यों के प्रत्यक्ष आकलन के संबंध में सहमति।

9. चयन के लिये नियमों में निर्दिष्ट मापदण्डों के अलावा कोई और शर्ते लागू नहीं होगी।

10. एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति / संस्था का कार्य दोबारा पुरस्कार हेतु विचारणीय नही हैं।

11. प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों / जानकारी के अलावा अन्य पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार पर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा।

12. प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों / निष्कर्षों / प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टिकर्ता का रहेगा। इस मामलें में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जायेगा।

13. संस्था/व्यक्ति को आवेदन में इस आशय की अण्डरटेकिंग देना होगा कि ज्यूरी अथवा उसके किसी भी सदस्य अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संस्था/व्यक्ति के कार्यों का प्रत्यक्ष आंकलन किया जा सकता है। इस हेतु वे (संस्था / व्यक्ति) सहमत है। इसी प्रकार चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने की सहमति देनी होगी।

(डॉ. सारांश मित्तल)
आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर (छ०ग०)

“सातधार से प्रतापगिरी तक” झरनों की धरती दंतेवाड़ा

दंतेवाड़ा जिले के सातधार, फूलपाड़, झारालावा, मलांगीर और प्रतापगिरी जैसे जलप्रपात न केवल पर्यटन के आकर्षण हैं, बल्कि प्रदेश की सांस्कृतिक और जैविक विविधता के प्रतीक भी हैं। इन जलप्रपातों की कलकल ध्वनि, हरे जंगलों की सानिध्यता और पहाड़ों की गोद में बहती जलधाराएं छत्तीसगढ़ की उस आत्मा को जीवंत करती हैं, जो शांति, साहस और सौंदर्य की कहानी कहती है।

इंद्रावती की सात धाराओं से बना अद्भुत दृश्य

बारसूर क्षेत्र में स्थित यह जलप्रपात बस्तर की जीवनरेखा मानी जाने वाली इंद्रावती नदी की सात अलग-अलग धाराओं से निर्मित होता है। पथरीले भू-भाग से बहती इन धाराओं की संयुक्त गर्जना जब गूंजती है, तो लगता है जैसे कोई प्रकृति का महायज्ञ हो रहा हो। सातधार की जलधाराएँ अपने आप में ऊर्जा और संतुलन का प्रतीक हैं। यह स्थान न केवल ट्रेकिंग प्रेमियों को आकर्षित करता है बल्कि फोटोग्राफी और अध्यात्म के दृष्टिकोण से भी विशेष महत्त्व रखता है। पास में ही बारसूर के ऐतिहासिक मंदिर भी स्थित हैं, जो इसे एक धार्मिक-सांस्कृतिक स्थल भी बनाते हैं।

पर्यटकों के लिए सुझाव

बेहतर समय:
जुलाई से जनवरी तक का समय सबसे उपयुक्त है, जब झरनों में भरपूर जल होता है।

कैसे पहुँचे:
जगदलपुर से सड़क मार्ग द्वारा सभी प्रमुख झरनों तक पहुँचना संभव है। किरंदुल और बारसूर जैसे स्थानों पर ठहरने की सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

स्थानीय सहयोग:
ग्राम पंचायत एवं वन विभाग के सहयोग से स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित गाइड के रूप में रखा गया है।

घाटी की गोद में दूधिया कविता

अरनपुर घाटी की गोद में बसा फूलपाड़ जलप्रपात वनों की नीरवता और जल की कलकल ध्वनि का सम्मिश्रण है। यह जलप्रपात छोटी पर्वतीय नदी के बहाव से निर्मित होता है, जिसकी दूधिया धाराएँ सफेद फाहों सी चट्टानों पर गिरती हैं और फिर नीचे एक शांत जलकुंड बनाती हैं। यह स्थल विशेष रूप से उन पर्यटकों को आकर्षित करता है जो प्रकृति की गोद में ट्रेकिंग, फोटोग्राफी और ध्यान-योग की तलाश में रहते हैं। हरे-भरे पेड़, विविध पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवाएँ इस स्थल को अद्वितीय बनाती हैं।

60 फीट ऊँचाई से गिरती गर्जना

करीब 60 फीट की ऊँचाई से गिरता झारालावा जलप्रपात एक जंगली नृत्य की तरह प्रतीत होता है। बैलाडीला पर्वतमाला की कठोर चट्टानों से टकराती इसकी जलधाराएँ एक अद्वितीय प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। यह जलप्रपात उन साहसी यात्रियों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है जो शांत लेकिन प्रभावशाली वातावरण में गहरे वन क्षेत्र में जाना चाहते हैं। जंगल की गहराई और पानी की आवाज यहाँ आकर जीवन की आपाधापी से अलग एक स्वच्छ अनुभव देती है।

बैलाडीला की शांत वादियों में बहता सौंदर्य

किरंदुल से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मलांगीर जलप्रपात बैलाडीला की सुरम्य वादियों का एक सुंदर उदाहरण है। यहाँ का वातावरण पर्यटकों को अद्वितीय शांति का अनुभव कराता है। इस जलप्रपात के चारों ओर हरी वनस्पतियों की घनी चादर, चट्टानों की प्राकृतिक संरचना और बहते पानी की संगीतात्मक लय पर्यटकों को किसी चित्रकथा के दृश्य में ले जाती है। यह स्थान पारिवारिक पिकनिक, प्रकृति-अवलोकन और ट्रेकिंग के लिए बेहद उपयुक्त है।

छुपा हुआ खजाना, जो आत्मा को छू जाए

तोंगपाल क्षेत्र में स्थित प्रतापगिरी जलप्रपात, जिसे मुंगा जलप्रपात भी कहा जाता है, अब तक व्यापक रूप से पर्यटकों की नजरों से छुपा हुआ एक अनमोल रत्न है। घने साल और सागौन के जंगलों से घिरा यह जलप्रपात ऊँचाई से गिरता है, जिससे एक मनोहारी दृश्य उत्पन्न होता है। यह स्थान उन यात्रियों के लिए आदर्श है जो कम भीड़भाड़ वाले और शांत प्राकृतिक स्थलों की खोज में रहते हैं। प्रकृति प्रेमियों, शोधकर्ताओं और ट्रेकरों के लिए यह एक आदर्श ठिकाना है जो बार-बार बुलाता है।

स्रोत : अद्भुत अतुल्य दंतेवाड़ा पुस्तक से

स्रोत : https://dprcg.gov.in/

समावेशी विकास के साथ आधुनिक छत्तीसगढ़ का निर्माण

गांव से लेकर शहरों तक बढ़ रहीं जनसुविधाएं, अधोसंरचना में हो रहे व्यापक बदलाव

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने नई पहल के साथ विकास के एक नए युग की शुरुआत की है। उनकी दूरदर्शी सोच से न केवल छत्तीसगढ़ सरकार के विकास कार्यक्रमों को गति मिली है, बल्कि नागरिकों को सशक्त बनाने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और राज्य भर में सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए एक नई शुरुआत भी हुई है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रमों से इस आदिवासी बाहुल्य राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों परिदृश्यों में बदलाव ला रहे हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका योजनाओं का एकीकरण कर सरकार ऐसी योजनाएं संचालित कर रही है, जिससे इन वर्गों का तीव्र सामाजिक-आर्थिक विकास हो सके। इन बड़े प्रयासों के साथ, एक तरह से सरकार समावेशी, जन-प्रथम शासन के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित कर रही है। मुख्यमंत्री श्री साय के गतिशील नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सतत, समावेशी और प्रौद्योगिकी-संचालित विकास के लिए एक आदर्श राज्य बनने की ओर आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है।

> “विकास दृश्यमान, सुलभ और परिवर्तनकारी होना चाहिए। इन नई पहलों के माध्यम से, हम एक ऐसे छत्तीसगढ़ का निर्माण कर रहे हैं, जहाँ हर गाँव में पानी हो, हर परिवार के पास घर हो और हर नागरिक को समृद्ध होने के अवसर मिले।
>
> **-श्री विष्णु देव साय**
> *मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़*

मोर गांव, मोर पानी

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर इस अभियान की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य समुदाय द्वारा संचालित जल संरक्षण और भू-जल पुनर्भरण सुनिश्चित करना है। सोख्ता गड्ढे, बांध, चेक डैम जैसी 42,561 पुनर्भरण संरचनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। सरकार की अभियान से गांवों में टिकाऊ पाइप जलापूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी और जल संरक्षण के जरिए गांवों को सुख के खतरे से मुक्त बनाया जा सकेगा। जो संरचनाओं आज धरातल पर तैयार हुई हैं, वह आने वाले दिनों में गांव के लिए जल संरक्षण का मूल आधार बनेंगी।

पीएम-जनमन (पीवीटीजीएस के लिए आवास)

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (बैगा, कमार, कोरवा, आदि) के लिए पीएम जनमन आवास के रूप में विशेष योजना संचालित की जा रही है। यह योजना सबसे दूरस्थ और हाशिए पर स्थित क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को सुरक्षित पक्के घर उपलब्ध कराती है। योजना से राज्य के जनजातीय बाहुल्य बस्तर और सरगुजा संभागों में विशेष संरक्षित जनजातीय समुदाय के परिवारों को अपना पक्का घर उपलब्ध हो रहा है।

मोर गांव, मोर मकान (मेरा गांव, मेरा घर)

ग्रामीण छत्तीसगढ़ में शत-प्रतिशत पक्के आवास कवरेज प्राप्त करने के लिए यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पीएमएवाई-जी के साथ-साथ मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को मजबूत बनाने के लिए इस अभियान के अंतर्गत कार्य किए जा रहे हैं।

ऑनलाइन शहरी अवसंरचना निगरानी पोर्टल

सभी शहरी विकास परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक रियल टाइम डिजिटल पोर्टल की हाल ही में शुरुआत की गई है। https://adho.cguadfinance.in के माध्यम से 7067 से अधिक परियोजनाओं पर सार्वजनिक पहुंच के साथ पारदर्शी तरीके से निगरानी रखी जा रही है। इसका उद्देश्य शासकीय कार्य प्रणाली में पारदर्शिता, नागरिकों के विश्वास को मजबूत करना और शिकायत निवारण में तेजी लाना है।

नए शहरी विकास अनुदान

छत्तीसगढ़ में शहरी विकास कार्यक्रमों को गति देने के लिए ₹840 करोड़ के नए आवंटन की घोषणा की गई है। इससे राज्य में शहरों के अधोसंरचनात्मक बुनियादी ढांचे में बड़ा बदलाव आएगा। सड़क सुदृढ़ीकरण, नए पार्कों और उद्यानों की स्थापना, खेल के मैदान, सार्वजनिक सौन्दर्यीकरण एवं जल निकासी पर इस अनुदान से कार्य किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत वर्तमान में 30 शहरी निकायों में 53 नई परियोजनाएं शुरू की गईं।

प्रमुख उपलब्धियां

सभी के लिए आवास

- 26 लाख ग्रामीण परिवारों को पक्के घर
- पीएमएवाई-जी और पीएम-जनमन योजनाओं का विस्तार
- स्वीकृत मकानों में 94% का निर्माण पूरा

जल संरक्षण

- 'मोर गांव मोर पानी' अभियान की शुरुआत
- 42,561 पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण

समावेशी विकास

- 180 करोड़ की सहायता से पंचायती राज की मजबूती की पहल

रोजगार सृजन (मनरेगा)

- 1.32 करोड़ व्यक्ति कार्य सृजित किए गए
- ग्रामीण विकास कार्यों में 53% महिला भागीदारी सुनिश्चित की एससी/एसटी की भागीदारी पर जोर
- सड़कें, वृक्षारोपण जैसी टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण

आंगनवाड़ी अवसंरचना विस्तार

छत्तीसगढ़ में नए आंगनवाड़ी केन्द्रों और ग्रामीण बाल देखभाल सेवाओं के उन्नयन के लिए 298 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। जमीनी स्तर पर इसका उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार पर ध्यान केन्द्रित करना है। आंगनबाड़ियों में गर्भवती, माताओं व शिशुओं को संतुलित आहार भोजन एवं स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है, जिससे राज्य पूरी तरह कुपोषण मुक्त हो सके।

डिजिटल गवर्नेंस की मजबूती

राज्य में नागरिकों को सुरक्षित, ई-एमबी प्लेटफार्मों के माध्यम से डिजिटल शासन की सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण कार्यों और रोजगार ट्रैकिंग का पूर्ण डिजिटलीकरण किया गया है। कार्यस्थल पर उपस्थिति के लिए राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) को शत् प्रतिशत अपनाया चुका है। इसके लिए 'सिक्योर' (ग्रामीण दरों का उपयोग करके अनुमान गणना हेतु सॉफ्टवेयर) पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

मूलढ़ांचा परियोजनाएं

छत्तीसगढ़ राज्य में मूल ढांचा परियोजनाओं के विकास के लिए वर्ष 2025-26 हेतु 1840 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इनमें सड़कें, प्रकाश व्यवस्था, पार्क, सामुदायिक हॉल जैसी 53 प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं। वर्ष 2018 से अब तक राज्य में 7067 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 99 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

ऑनलाइन प्रोजेक्ट ट्रैकिंग पोर्टल

- रायपुर और बिलासपुर में स्मार्ट सिटी मिशन का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- नगरपालिका सेवाओं जैसे जल बिल, संपत्ति कर, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ई-गवर्नेंस परियोजना शुरू की गई।
- स्वच्छता परियोजनाओं के लिए 380 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 98% परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग की जा चुकी है।

डॉ. रवि मित्तल - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद की ओर से मे. डीबी कार्प. लिमिटेड, प्लाट नंबर 40/44 इण्डस्ट्रियल एरिया, उरला रायपुर से मुद्रित, छत्तीसगढ़ संवाद, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, अटल नगर, नवा रायपुर से प्रकाशित। संपादक - जवाहर लाल दरियो